

अध्याय II

अनुपालन लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों एवं उनके क्षेत्रीय घटकों के लेनदेनों की लेखापरीक्षा एवं स्वायत्तशापी निकायों की लेखापरीक्षा में संसाधनों के प्रबंधन में चूक तथा विनियमन, औचित्यता एवं मितव्ययिता के मापकों के अनुपालन में विफलता के कई दृष्टांत ध्यान में आये हैं, जिन्हें वृहद् विषयक शीर्षों के अन्तर्गत अनुवर्ती अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया गया है।

2.1 नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं किया जाना

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

2.1.1 अनियमित व्यय

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के लिए निर्धारित निधि ₹ 3.32 करोड़ का शहरी स्कूलों पर अनियमित व्यय किया जाना।

सम्पूर्ण देश में प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम (एसएचपी) को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (राग्रास्वामि) में समाहित कर जनवरी 2009 में दिशा-निर्देश जारी किये, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर ध्यान देना था। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य तंत्र व स्वास्थ्य स्थिति में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए राग्रास्वामि योजना प्रारम्भ की थी। राग्रास्वामि क्रियान्वयन की संरचना (2005-2012) में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक साम्यिक, सस्ती, जवाबदेह तथा प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुलभ करवाना योजना का दर्शन व मिशन तय किया गया। अतः स्पष्ट था कि राग्रास्वामि के तहत किमी भी गतिविधि की निरपवाद रूप से ग्रामीण शकल होनी चाहिये।

मिशन निदेशक (मिनि), राग्रास्वामि, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2013) में प्रकट हुआ कि भारत सरकार ने, राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (काकायो) को स्वीकृत करते हुए, वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि के लिए राजस्थान के 34 जिलों के 1.18 लाख स्कूलों में एसएचपी गतिविधियों¹ के लिए राशि ₹ 9.31 करोड़² का बजट आवंटित किया।

1. सामान्य जन्म, रक्तशोषणता/पोषणिक स्थिति का आकलन, दृष्टि तीक्ष्णता, श्रवण समस्याएँ, दन्त परीक्षण, सामान्य त्वचा स्थिति, हृदय दोष, शारीरिक अशक्तता, स्कूल जाने वाले बच्चों की साधारण बीमारियों के लिए प्राथमिक दवा किट उपलब्ध कराना, जिल/उप-जिला अस्पतालों में प्रथमता सेवाओं के लिए रेफरल कार्ड देना, प्रतिरक्षण, सुखा पोषाहार प्रवर्धन, स्वच्छता, प्राथमिक उपचार कक्ष/क्लिनिक इत्यादि।
2. 2009-10: ₹ 1.40 करोड़; 2010-11: ₹ 2.02 करोड़ + ₹ 3.48 करोड़ तथा 2011-12: ₹ 0.87 करोड़ + ₹ 1.54 करोड़

राग्रास्वामि के अन्तर्गत एसएचपी के क्रियान्वयन के लिए निदेशक, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाईस फाउंडेशन, हैदराबाद, एक गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) के मध्य बीकानेर, जोधपुर व उदयपुर शहरों में स्थित 797 स्कूलों के लगभग 1,51,000 छात्रों के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव अप्रैल 2009 से तीन वर्ष (2009-10 से 2011-2012) के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित (सितम्बर 2009) किया। यह समझौता ज्ञापन राग्रास्वामि के मूल दर्शन के विरुद्ध था क्योंकि इसमें ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों के स्थान पर केवल शहरी क्षेत्र की स्कूलों को ही सम्मिलित किया गया था। विभाग ने 2009-10 से 2011-12 की अवधि के लिए एनजीओ को कुल राशि ₹ 3.32 करोड़ का भुगतान किया।

मिनि, राग्रास्वामि ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2013) कि एसएचपी, क्षेत्र विशेष (शहरी अथवा ग्रामीण) के लिए नहीं थी। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राग्रास्वामि का उद्देश्य ही ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करवाना था।

इस प्रकार शहरी क्षेत्र की स्कूलों पर राशि ₹ 3.32 करोड़ का किया गया। व्यय राग्रास्वामि की ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करवाने की मूल भावना के विरुद्ध था। इससे राग्रास्वामि की निधियों का शहरी क्षेत्रों में विपथन हुआ जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह गए।

प्रकरण पर राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित रहा (दिसम्बर 2013)।

2.1.2 निधियों का अनधिकृत विपथन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ₹ 2.15 करोड़ की निधियों का अनधिकृत एवं अनियमित विपथन।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (राग्रास्वामि) कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार, एक योजना से दूसरी योजना में निधियों का विपथन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वापक्रम), भारत सरकार की स्वीकृति के बिना अनुमत्य नहीं था क्योंकि इससे मिशन के अन्तर्गत अनुमोदित गतिविधियों के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ता था। इसे दिसम्बर 2010 में पुनरावृत्त किया गया। इसके साथ ही, कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (काकायो) 2008-09 के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी प्रकार की नई सुविधाओं के निर्माण की अनुमति नहीं थी।

मिशन निदेशक (मिनि), राग्रास्वामि, राजस्थान स्टेट हेल्थ सोसायटी (राएसएचएस), जयपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2013) में प्रकट हुआ कि:

3. सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा पंजीकृत मदरसे

- वर्ष 2006-07 के लिए अनुमोदित काकायो के अनुसार, स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर (एसएचएसआरसी) स्थापित करने के लिए ₹ एक करोड़ की निधियों का आवंटन (फरवरी 2008) इस शर्त के साथ किया गया कि एसएचएसआरसी, स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर (एसआईएचएफडब्ल्यू) भवन के अन्दर स्थित होगा तथा व्यय करने से पहले उसे एक पृथक वैधिक एवं कार्यशील इकाई के तौर पर पंजीकृत किया जाना होगा।

तथापि, यह पाया गया कि मिनि, राग्रास्वामि ने निदेशक, एसआईएचएफडब्ल्यू की सिफारिश पर उक्त निधियाँ 'एसआईएचएफडब्ल्यू में दो ट्रेनिंग हॉल के निर्माण के लिए' स्थानान्तरित की (नवम्बर 2008)। चूंकि ये निधियाँ एसएचएसआरसी स्थापित करने के लिए आवंटित की गई थीं, इनका ट्रेनिंग हॉल निर्माण के लिए विपथन करना राग्रास्वामि के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध था। साथ ही, इसके परिणामस्वरूप एसएचएसआरसी के उद्देश्यों जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना, नीति विकास, नवीनीकरण एवं प्रबन्धन परिवर्तन तथा अन्य सौंपी गई गतिविधियों की भी पूर्ति नहीं हो सकी।

- इसी प्रकार, वर्ष 2008-09 को स्वीकृत काकायो के अनुसार आसीएच/काकायो शीर्ष के अन्तर्गत 'ट्रेनिंग संस्थाओं (एसआईएचएफडब्ल्यू, एचएफडब्ल्यूटीसी, अजमेर तथा स्टेट ड्रग वेंचरहाउस, जयपुर) के नवीनीकरण/मरम्मत के लिए' ₹ एक करोड़ की निधियों का आवंटन किया गया था। तदनुसार, मिनि, राग्रास्वामि ने "एसआईएचएफडब्ल्यू, जयपुर में नवीनीकरण/मरम्मत कार्यों के लिए राशि ₹ 50 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की (जून 2008)। यह स्वीकृति संशोधित कर 'नवीनीकरण/मरम्मत तथा हॉस्टल ब्लॉक में प्रथम तल पर अतिरिक्त कमरों के निर्माण' कार्य के लिए ₹ 85 लाख⁴ (अक्टूबर 2008) की गई तथा बाद में बढ़ा कर ₹ 1.15 करोड़ कर दी गयी (जुलाई 2009)।

यह पाया गया कि विभाग ने ट्रेनिंग संस्थाओं के नवीनीकरण/मरम्मत जिसके लिए काकायो अनुमोदित थी, के स्थान पर वास्तव में हॉस्टल का दूसरा तल, नया हॉस्टल ब्लॉक तथा ट्यूबवेल के निर्माण का कार्य करवाया। इसके परिणामस्वरूप नई सुविधाओं के निर्माण के लिए निधियों का विपथन हुआ जो दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत अनुमत्य नहीं था।

इस प्रकार कुल राशि ₹ 2.15 करोड़ का अनियमित विपथन किया गया तथा स्वापक्रम का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना गैर-अनुमोदित गतिविधियों पर व्यय किया गया।

निदेशक, एसआईएचएफडब्ल्यू, जयपुर ने स्वीकार किया (मार्च 2013) कि राशि ₹ 2.15 करोड़ निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त हुई थी जिसे राज्य सरकार की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के अनुसार व्यय किया गया।

4. ₹ 35 लाख आरसीएच काकायो के तहत ब्याज घटक पर प्रपारित थे।

उत्तर, निधियों के विपथन तथा नई सुविधाओं के निर्माण की पुष्टि करता है जो कि स्वापक्रम की पूर्ण स्वीकृति एवं अनुमोदन के बिना अनुमत्य नहीं था। इस प्रकार, विभाग ने ₹ 2.15 करोड़ की निधियों का अनाधिकृत एवं अनियमित विपथन किया।

प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित (जून 2013) किया गया, उत्तर प्रतीक्षित रहा (दिसम्बर 2013)।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

2.1.3 निविदा का वैधता अवधि में अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के कारण उच्च दर पर कार्य का आवंटन

विस्तारित वैधता अवधि में संविदा को अन्तिम रूप देने में राज्य सरकार की विफलता के परिणामस्वरूप कार्य का आवंटन ₹ 1.16 करोड़ की अतिरिक्त लागत पर किया गया

एशियन विकास बैंक (एडीबी) ने एडीबी ऋण संख्या 2506 - आईएनडी द्वारा वित्तपोषित, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (राशआविप) के द्वितीय चरण की परियोजना 2 'राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (राशक्षेविनिका)', को अनुमोदित किया। एडीबी की निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया एवं प्रतिवेदन मार्गदर्शिका (भाग-1) का अनुच्छेद 3.4.1, निविदाये खोलने की तिथि से निविदा मूल्यांकन के लिए कम से कम 120 दिन की अवधि निर्धारित करता है। मार्गदर्शिका के अनुच्छेद 1.5 (डी) एवं (ई) में निर्दिष्ट है कि कार्यकारी अभिकरण, वैधता अवधि की समाप्ति से पूर्व निविदा मूल्यांकन एवं अनुबन्ध आवंटन की कार्यवाही पूर्ण करने का हर प्रयास करेगा। निविदाओं की वैधता अवधि केवल विशिष्ट परिस्थितियों एवं एडीबी के पूर्व अनुमोदन से ही बढ़ाई जा सकेगी। केवल उच्च दरों के कारणों से सभी निविदाओं का निरस्तीकरण एवं नई निविदाओं का आवंटन, एडीबी को स्वीकार्य नहीं होगा।

कार्यालय परियोजना निदेशक (पनि), राशआविप, जयपुर के अभिलेखों को नमूना-जॉच (दिसम्बर 2011 से मार्च 2012) एवं एकत्रित सूचनाओं (अगस्त 2012 एवं मई 2013) में प्रकट हुआ कि राशआविप द्वारा बूंदी में मल उपचार संयंत्र के 'डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, निर्माण परीक्षण, प्रारम्भ एवं पाँच वर्षों तक संचालन एवं देखभाल' के कार्य हेतु निविदाये राशआविप की अनुसूचित दर (अद) जनवरी 2008 के आधार पर, अनुमानित लागत ₹ 22.94 करोड़ (अन्तिम राशि ₹ 0.93 लाख शामिल नहीं) पर आमंत्रित (25 फरवरी 2009) की गई। निविदाये खोलने की अन्तिम तिथि (14 मई 2009) को 30 जुलाई 2009 तक बढ़ाया गया। निविदा दरें 18 सितम्बर 2009 को खोली गयी तथा मैसर्स शिआ आईकॉम टेलि इन्फ्रा (जेवी), हैदराबाद (निविदादाता 'अ') को निविदा ₹ 31.98 करोड़ न्यूनतम पायी गयी। निविदा मूल्यांकन समिति (निमूस), निविदा अनुमोदन समिति (निअस) के साथ साथ राज्य सरकार ने दरों को अत्यधिक उच्च पाया (अभियन्ता के अनुमानों से 39.40 प्रतिशत ऊपर) तथा

तीन बार (12 जनवरी, 02 मार्च एवं 22 मई 2010) समझौता वार्ता हेतु अनुशांषा की। तदनुसार, समझौता वार्ता आयोजित की गई (17 फरवरी, 04 मार्च एवं 27 मई 2010) तथा निविदादाता 'अ' ने वैधता अवधि 30 जून 2010 तक बढ़ाते हुए दरों को ₹ 26.85 करोड़ (अभियन्ता के अनुमानों से 17.03 प्रतिशत ऊपर) तक कम किया। विभाग ने निविदादाता 'अ' को कार्य आवंटन का प्रस्ताव, अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत किया (3 जून 2010)। राज्य सरकार द्वारा दरों पर विचार करने के दौरान, वित्तीय सलाहकार, राशआविप ने निविदादाता 'अ' से वैधता अवधि 31 अगस्त 2010 तक बढ़ाने का अनुरोध किया (21 जून 2010)। समय व्यतीत होने एवं बाजार दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण निविदादाता 'अ' ने वैधता अवधि बढ़ाने में असमर्थता व्यक्त की (30 जून 2010)।

परिणामतः राज्य सरकार ने पूर्व आमंत्रित निविदा को निरस्त करने एवं गैर-घरेलू उद्देश्य हेतु जल के पुनः चक्रण के कार्य को जोड़ते हुए निविदा के पुनः आमंत्रण के आदेश किये (जुलाई 2010)। कार्यक्षेत्र में कुछ कमी (₹ 0.81 करोड़) एवं दस लाख लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) जल के पुनः चक्रण कार्य (₹ 5.53 करोड़) को जोड़ते हुए, ₹ 27.66 करोड़ की अनुमानित लागत की निविदा पुनः आमंत्रित (27 दिसम्बर 2010) की गयी। प्राप्त दो निविदाओं में से में 0 जील-एकवाफील (जेवी), कोलकाता (निविदादाता 'ब') को तकनीकी उत्तरदायी निविदा ₹ 33.77 करोड़ (अभियन्ता के अनुमानों से 22.07 प्रतिशत ऊपर) से समझौता वार्ता करने हेतु अनुशांषा (मार्च 2011) की गई। तथापि, एडीबी ने राज्य सरकार को न्यूनतम निविदादाता के पक्ष में अनुबन्ध आवंटन हेतु विचार करने का परामर्श (मई 2011) दिया। तदनुसार, निविदादाता 'ब' को कार्य ₹ 33.77 करोड़ (अनन्तिम राशि शामिल नहीं) में, 17 फरवरी 2014 तक कार्य पूर्ण करने की तिथि के साथ, आवंटित किया गया (सितम्बर 2011)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने निविदाये खोलने की तिथि से निविदा मूल्यांकन अवधि 120 दिन के भीतर निविदाओं का अन्तिमोकरण न करके एडीबी के दिशानिर्देशों की पालना नहीं की। निविदा वैधता अवधि की समाप्ति से पूर्व, निविदा मूल्यांकन एवं ठेका आवंटन को पूर्ण करने हेतु प्रयास नहीं किये। एडीबी के पूर्व अनुमोदन के बिना वैधता अवधि को बढ़वाना एवं समझौता वार्ता भी अनाधिकृत रूप से किया गया। निविदाओं को निरस्त किये जाने एवं नयी निविदाये आमंत्रित किये जाने का एकमात्र कारण उच्च दरें थी, जो कि एडीबी के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध था। समझौता वार्ता एवं पुनः समझौता वार्ता में 251 दिन के असामान्य विलम्ब (18 सितम्बर 2009 से 27 मई 2010) एवं निविदा का अन्तिमीकरण पुनः समझौता दर ₹ 26.85 करोड़ (अभियन्ता के अनुमानों से 17.03 प्रतिशत ऊपर) पर न किये जाने के परिणामस्वरूप कार्य का आवंटन ₹ 33.77 करोड़ (अभियन्ता के अनुमानों से

5. मूल अनुमान ₹ 22.94 करोड़ - ₹ 0.81 करोड़ (कार्य कम किया) ₹ 5.53 करोड़ (अतिरिक्त कार्य जोड़े गये) = ₹ 27.66 करोड़।

22.07 प्रतिशत ऊपर) पर किया गया। परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.16 करोड़⁶ का अतिरिक्त दायित्व सृजित हुआ।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (अगस्त 2012) कि वास्तविक कार्य क्षेत्र में ₹ 4.72 करोड़ का परिवर्तन किये जाने एवं समय अन्तराल के कारण मूल्य वृद्धि के कारण वास्तविक अनुमान, ₹ 22.94 करोड़ से ₹ 27.66 करोड़ संशोधित किया गया, जिससे दोनों निविदाओं में अन्तर रहा। इससे राज्य सरकार को कोई भी वित्तीय हानि नहीं हुयी है।

प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निविदादाता 'ब' को जिस दर पर कार्य आवंटित किया गया वह निविदादाता 'अ' द्वारा प्रस्तावित दर (₹ 26.85 करोड़) से ₹ 1.16 करोड़ अधिक था। इस प्रकार, विस्तारित वैधता अवधि में ठेके को अन्तिम रूप देने में राज्य सरकार की विफलता के परिणामस्वरूप कार्य का आवंटन ₹ 1.16 करोड़ की अतिरिक्त लागत पर किया गया। आगे, मल उपचार संयंत्र उपलब्ध करवाने के उद्देश्यों की प्रगति में भी विलम्ब हुआ।

2.2 औचित्यता के विरुद्ध लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त न्यायोचितता के बिना व्यय के मामले

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

2.2.1 निष्फल व्यय

एडवॉंस लाइफ सपोर्ट उपकरणों का चार साल से अधिक समय तक अनुपयोगी रहने से ₹ 1.47 करोड़ का निष्फल व्यय

राज्य सरकार ने राजस्थान के लोगों को आपात स्थिति में विस्तृत प्रतिक्रिया सेवाएँ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 'इमरजेंसी रिस्पॉस सर्विसेज' जो '108-एम्बुलेंस सर्विसेज' के नाम से लोकप्रिय है, प्रारम्भ की तथा मैसर्स इमरजेंसी मैनेजमेंट एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट (ईएमआरआई), हैदराबाद से एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया (मई 2008), जिसमें 150 एम्बुलेंसों को जुलाई 2008 से मार्च 2009 के दौरान चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाना परिकल्पित था। आवश्यक मैन पावर को भर्ती, उनकी ट्रेनिंग व पदस्थापन करने की जिम्मेदारी ईएमआरआई को थी तथा उसे यह सुनिश्चित करना था कि योजना के अन्तर्गत संचालित प्रत्येक एम्बुलेंस में कम से कम एक पायलट और एक इमरजेंसी मेडिकल तकनीशियन (ईएमटी) उपस्थित रहे। ईएमआरआई द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 75 प्रतिशत एम्बुलेंस बेसिक लाइफ सपोर्ट (बोएलएस) मॉडल तथा शेष 25 प्रतिशत एडवॉंस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) मॉडल की होनी थी। योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (राग्रास्वामि),

6. ₹ 33.77 करोड़ - ₹ 4.72 करोड़ (शुद्ध अतिरिक्त कार्य) - ₹ 1.04 करोड़ (टेण्डर प्रीमियम 22.07 प्रतिशत) - ₹ 26.85 करोड़ (पुनः समझौता दर) - ₹ 1.16 करोड़

जयपुर के माध्यम से कार्यान्वित की गई। सेवाएं जून 2010 तक ईएमआरआई द्वारा और तत्पश्चात् मैसर्स जिक्विजा हेल्थ केयर लिमिटेड, मुंबई (जेडएचएल) द्वारा संचालित की गई।

मिशन निदेशक (मिनि), राग्रास्वामि, जयपुर के अधिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 2013) में पाया गया कि एएलएस उपकरणों (ईएमआरआई द्वारा अगस्त-दिसम्बर 2008 के मध्य ₹ 1.94 करोड़ की लागत से क्रय किये गए) के बहुत कम अथवा नगण्य उपयोग के कारण, 39 एम्बुलेंसों (39 डीफिब्रिलेटर्स और 12 वेंटीलेटर्स) से हटाकर अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों में स्थानान्तरित करने का निर्णय (जून 2010) लिया गया, कारण बताया गया कि इन एम्बुलेंसों में अर्हता प्राप्त डॉक्टरों/विशेषज्ञों को अनुबन्धित नहीं किया गया था तथा नए सेवा प्रदाता जेडएचएल के कार्यक्षेत्र में केवल बीएलएस सिस्टम ही शामिल था। तदनुसार, सभी एएलएस उपकरणों को हटाने एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) व अस्पतालों में उपयोग के लिए (17 डीफिब्रिलेटर्स और 12 वेंटीलेटर्स) चिन्हित 10 प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों (प्रचिअ) व एक मेडिकल कॉलेज के द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश (जुलाई 2010) दिए गए। शेष 22 डीफिब्रिलेटर्स के लिए अतिरिक्त निदेशक, अस्पताल प्रशासन, जयपुर को मांग प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। तथापि, सितम्बर 2010 से अप्रैल 2012 के मध्य केवल आठ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (मुचिस्वाअ)/प्रचिअ/अस्पतालों ने 9 डीफिब्रिलेटर्स व 6 वेंटीलेटर्स ही प्राप्त किये तथा शेष उपकरण जेडएचएल के पास रहे। अन्य सभी मुचिस्वाअ व प्रचिअ ने परियोजना निदेशक, राग्रास्वामि के अनेक स्मरण पत्रों (जुलाई 2010 से अप्रैल 2012) के बावजूद उपकरण प्राप्त नहीं किये। अतः शेष 30 डीफिब्रिलेटर्स और 6 वेंटीलेटर्स जेडएचएल से स्टेट ड्रग वेयरहाउस द्वारा प्राप्त किये गये (जून 2012)। अंततः ये जून 2012 से मई 2013 के मध्य अन्य मुचिस्वाअ/प्रचिअ को जारी किये गये। विभिन्न मुचिस्वाअ/प्रचिअ से एकत्रित सूचनाओं (अप्रैल मई 2013) से प्रकट हुआ कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व अस्पतालों को हस्तान्तरित होने के बाद भी 32 डीफिब्रिलेटर्स व 6 वेंटीलेटर्स, विशेषज्ञों के अनुपलब्धता तथा उपकरणों के चालू हालत में न होने/स्थापित न होने या स्टोर में पड़े होने के कारण, अनुपयोगी रहे (जून 2013)।

एम्बुलेंसों या अस्पतालों में उनके संचालन के लिए विशेषज्ञ मानवशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना इतने महंगे उपकरणों का क्रय, विभाग स्तर पर त्रुटिपूर्ण नियोजन को दर्शाता है। ये उपकरण क्रय किये जाने (अगस्त दिसम्बर 2008) के बाद से ही व्यर्थ पड़े रहे तथा उनकी वारंटो अवधि (स्थापन से 36 माह तक) भी समाप्त हो गई। विभाग के इस अविवेकपूर्ण निर्णय से न केवल ₹ 1.47 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ बल्कि लोगों को आपात स्थिति

7. प्रभावित हृदय को विद्युत ऊर्जा की चिकित्सीय मात्रा देने का यंत्र। यह हृदय की मांसपेशी के नाजुक द्रव्यमान को ढीला करता है, दुस्तालता को समाप्त करता है तथा शरीर के प्राकृतिक पेसमेकर द्वारा सामान्य सादनाम रिदम को हृदय के मुख्य नोड में पुनः स्थापित होने की अनुमति देता है।
8. उन रोगियों, जो सामान्य रूप से सांस नहीं ले सकते व कठिनाई से सांस लेते हैं, के फेफड़ों में यांत्रिक रूप से सांस अन्दर एवं बाहर पहुँचाने के लिये बनाया गया यंत्र।

में विस्तृत प्रतिक्रिया सेवाएँ उपलब्ध कराने का मूल उद्देश्य भी फलीभूत नहीं हो सका।

प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया (जून 2013), उत्तर प्रतीक्षित रहा (दिसम्बर 2013)।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

2.2.2 परिहार्य व्यय

पम्पिंग स्टेशनों की आवश्यकता का निर्धारण करने में विभाग की विफलता एवं वाटर बाउण्ड मैकेडम सड़क के बजाय बिटूमिनस सड़क के निर्माण के परिणामस्वरूप ₹ 9.76 करोड़ का परिहार्य व्यय।

राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल (राजआसिप्रमं), जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग (जस्वाअवि) की नीति नियोजन समिति (नीनिस) ने पाली जिले के दो वृहद बाँधों (जवाई एवं हेमावास) से 531 गांवों एवं 10 कस्बों की पेयजल की मांग की पूर्ति के लिए जवाई पाईपलाइन परियोजना को ₹ 354.73 करोड़⁹ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (जून 2005) जारी की। इसका लक्ष्य, अधिकल्पित वर्ष 2021 की जनसंख्या की पेयजल मांग की आपूर्ति करना था। सम्पूर्ण परियोजना को पाँच पैकेजों¹⁰ में विभाजित किया गया था (अक्टूबर 2005) एवं इसे मार्च 2009 तक पूर्ण किया जाना था।

परियोजना के पैकेज 2 में पाली संचारण प्रणाली में पाईपलाइन की आपूर्ति करना, बिछाना एवं जोड़ना, जवाई एवं हेमावास बाँध पर प्रत्येक में पम्पिंग स्टेशन (पीएस) का निर्माण, विद्युत कनेक्शन, 31.79 किमी की एकल पथ वाटर बाउण्ड मैकेडम सड़क (बाद में बिटूमिनस (बोटी) सड़क में परिवर्तित) तथा अन्य सहायक कार्य शामिल थे। संवेदक 'अ' को कुल ₹ 266.99 करोड़ की एकमुश्त कीमत पर कार्य आवंटित (अप्रैल 2007) किया गया। पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 3 अगस्त 2008 थी। अन्तिम समय वृद्धि का अनुमोदन लम्बित रहते हुये कार्य पूर्ण कर लिया गया (जून 2013)।

प्रमुख शासन सचिव, जस्वाअवि, ने कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए, निर्देशित किया (17 अक्टूबर 2008) कि बजट कमी को देखते हुए पम्प हाऊस के निर्माण, सेवा सड़क का निर्माण, सहायक भवन एवं उपकरण आदि

9. ₹ 395.83 करोड़ (मई 2006) एवं ₹ 634.79 करोड़ (अक्टूबर 2007) से संशोधित किया गया।

10. पैकेज: 1-जवाई बाँध पर निकासी ₹ 6.11 करोड़; पैकेज: 2-जवाई बाँध से माण्डली/पाली हेमावास में अन्तः सम्बद्ध करना ₹ 195.52 करोड़; पैकेज: 3-पाली शहर में कार्य ₹ 6.97 करोड़; पैकेज: 4-माण्डली से सोजत शहर, रोहत तथा खैरवा शाखा का कार्य ₹ 79.72 करोड़ एवं पैकेज: 5-सोजत सिटी से चंदवाल-बर तथा आनन्दपुर कालू का कार्य ₹ 66.41 करोड़।

से सम्बन्धित कम प्राथमिकता वाले कार्य, मार्च 2009 तक स्थगित रखे जाये। तदनुसार, मुख्य अभियन्ता (मुअ) (परियोजना) जस्वाअवि, ने परियोजना के परिणामों को प्रभावित किये बिना, पैकेज 2 के कार्य क्षेत्र से सात अनावश्यक अवयवों¹¹ को विलोपित/स्थगित करने के प्रस्ताव (अगस्त 2009 एवं मई 2010) प्रस्तुत किये। इन बदलावों के लिए ठेकेदार से सहमति (नवम्बर 2009 एवं जनवरी 2010) भी ले ली गई थी। राज्य सरकार ने विलोपन/स्थगन का प्रस्ताव सितम्बर 2010 में अनुमोदित किया।

• 'जवाई बाँध पर पीएस निर्माण' के घटक को 2016 तक इस आधार पर स्थगित किया जाना प्रस्तावित था कि 2016 तक की मांग (193.04 मिलियन लीटर प्रतिदिन) का जल जवाई बाँध से, गुरुत्व प्रवाह द्वारा, बिना पम्पिंग स्टेशन की सहायता से लिया जा सकेगा। 'हेमावास बाँध पीएस घटक' को आगामी मानसून तक बाँध में पानी की अनुपलब्धता के कारण स्थगित किया गया था।

अधिशोषी अभियन्ता (अअ), जस्वाअवि खण्ड, पाली के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2012) एवं अग्रेतर संग्रहित सूचनाओं (अप्रैल-जून 2013) से प्रकट हुआ कि इस तथ्य के बावजूद विभाग ने पहले से ही बिजली पावरलाइन डालने के लिए जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जोबिविनिलि) को ₹ 4.08 करोड़¹² का भुगतान कर दिया था (मार्च से जून 2008) एवं ठेकेदार द्वारा अगस्त 2009 से मई 2010 के दौरान राशि ₹ 1.49 करोड़ के औजारों उपकरणों की आपूर्ति के कार्य का निष्पादन यह कहते हुए किया जा चुका था कि भविष्य में जब पम्पिंग स्टेशन का कार्य किया जायेगा तो पावर लाइन के साथ साथ औजार/उपकरण भी उपयोग में ले लिये जायेंगे (मार्च 2012 में राशि ₹ 0.16 करोड़ के उपकरणों की आपूर्ति की गयी जोकि स्थगित प्रस्तावों के अनुमोदन के पश्चात् थी)। यह दर्शाता है कि जवाई पीएस को 2016 से पूर्व जरूरत नहीं थी एवं हेमावास पीएस की, जब तक कि यह मानसून के दौरान पानी से नहीं भरता, उपयुक्तता नहीं थी इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना पावरलाइन के लिए जेवीवीएनएल को (₹ 4.08 करोड़) तथा ठेकेदार को औजार/उपकरण की आपूर्ति के लिए (₹ 1.65 करोड़) भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.73 करोड़ का किया गया व्यय परिहार्य रहा।

राज्य सरकार ने बताया (जुलाई-अगस्त 2013) कि यद्यपि वर्तमान अनुबन्ध से पीएस का विलोपन किया गया था, जवाई बिजली सब स्टेशन को जवाई क्लस्टर परियोजना (पैकेज 1) के अन्तर्गत पीएस के संचालन की आवश्यकता थी एवं बिजली पावरलाइन के लिए किया गया व्यय इस पीएस के लिए उपयोग में लिया जाना था। तकनीकी स्वीकृति के अनुसार पैकेज 3 के अन्तर्गत हेमावास तथा माण्डली, दोनों ही सामूहिक पावर संयोजन से संचालित

11. जवाई पीएस, हेमावास पीएस, सर्विस बॉ.टी., सड़क, सहायता कार्य, संचारण प्रणाली, अतिरिक्त पुर्ज तथा औजार एवं यंत्र।

12. जवाई पीएस के लिए: 33 केवी पावरलाइन, ट्रांसफोर्मर, एचटो प्रसारण, सीटीपीटी एवं बॉयज ₹ 2.59 करोड़ तथा हेमावास पीएस के लिए: 33 केवी हाईटेंशन प्रसारण, ट्रांसफोर्मर एवं बॉयज ₹ 1.49 करोड़।

होने थे। आगे, यह बताया कि अतिरिक्त पीएस के लिए किए गए भुगतान ₹ 1.49 करोड़ में से ₹ 0.23 करोड़ की कीमत के बाल्व पाईपलाईन में उपयोग में लिये गये थे जबकि केवल ₹ 1.26 करोड़ के पुर्जे भण्डार में पड़े थे।

उत्तर मान्य नहीं, क्योंकि जवाई क्लस्टर परियोजना एवं माण्डली पीएस का कार्य प्रारम्भ/पूर्ण नहीं किया गया था, इस प्रकार इन कार्यों पर फीडर लाईन का उपयोग किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अतिरिक्त, बाल्व एवं बिजली के उपकरण उनकी खरीद के बाद से ही खण्डीय भण्डार में अनुपयोगी पड़े हुए थे और उनकी उपयोगिता एवं लागत में ह्रास हो रहा था। इस प्रकार, आइटम जिनकी 2016 से पूर्व आवश्यकता नहीं थी, पर 2008-12 में व्यय करना कमजोर आयोजना को इंगित करता है।

• इसी प्रकार, अन्य दूसरे घटक अर्थात् 'बीटी सेवा सड़क' के विलोपन के लिए प्रस्ताव (अगस्त 2009 एवं मई 2010) इस औचित्य के साथ प्रस्तुत किया गया कि वाटर बाउण्ड मैकेडम (डब्ल्यूबीएम) सड़क, जो नहर के साथ मौजूद थी, का उपयोग निष्पादन के दौरान किया जायेगा और वर्तमान के लिए स्थगित किया जा सकता है। तथापि, संचालन एवं संधारण (संसं) के दौरान जरूरत होने पर पुरानी क्षतिग्रस्त डब्ल्यूबीएम सड़क के मरम्मत के साथ साथ चिह्नित खण्डों में नयी सड़क का निर्माण किया जायेगा, जिसे बाद में अलग से अनुबंध में लिया जा सकेगा।

इसी बीच संवेदक ने विभाग से अनुरोध किया (जुलाई 2010) कि भारी वर्षा के कारण कुछ स्थानों पर पाईपलाईन तक पहुंच अगम्य हो गई है एवं कच्ची सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, इसलिए उसे पाईपलाईन के बेहतर संसं के लिए कुछ हिस्सों में सड़क निर्माण के लिए अनुमत्य किया जावे। तकनीकी समिति द्वारा संवेदक के अनुरोध पर की गयी सिफारिश पर राज्य सरकार ने 45 किमी¹³ सड़क का निर्माण यथावत रखते हुये केवल 37 किमी सड़क के विलोपन (कार्य आदेश में 82 किमी के समक्ष) के प्रस्ताव का अनुमोदन किया (सितम्बर 2010)। इस प्रकार, अभियान्त्रिकी प्रतिवेदन के साथ-साथ मूल प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति में डब्ल्यूबीएम सड़क के निर्माण की सिफारिश एवं स्थगन/विलोपन प्रस्तावों (अगस्त 2009 एवं मई 2010) में बीटी सड़क के विलोपन के बावजूद ठेकेदार को 45 किमी बीटी सड़क का निर्माण अनुमत्य किया गया और जिसके लिए उसने ₹ 7.03 करोड़¹⁴ (43 किमी)¹⁵ का भुगतान प्राप्त किया(मार्च 2012)। परिणामस्वरूप बीटी सड़क पर ₹ 4.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

राज्य सरकार ने बताया (जुलाई अगस्त 2013) कि मौजूदा बीटी सड़क/एनएच 14 के पहुंच के लिए डब्ल्यू बी.एम. सड़क का निर्माण शुरू किया गया था

13. आर.डी. 20.2 किमी से 22.2 किमी और आर.डी. 11.7 किमी से 34.7 किमी।

14. सड़क रचना, उप आधार एवं डब्ल्यू बी.एम का निर्माण: ₹ 3.00 करोड़; सतह की ड्रेसिंग: ₹ 2.56 करोड़; रूम घन डामर मिश्रित कारपेट; ₹ 1.47 करोड़

15. संवेदक के अन्तिम क्लि में दो किमी दूरी का अन्तिम रूप दिया जाना शेष था।

तथा इस सड़क के साथ पाईपलाईन प्रस्तावित थी। तकनीकी स्वीकृति के दौरान नहर के साथ पाईपलाईन बिछाना उपयुक्त होना पाया गया क्योंकि एनएच 14 को भविष्य में चौड़ा करने की सम्भावना थी। यह भी बताया गया कि उपरोक्त कथित हिस्सों में बीटी सड़क का निर्माण, संस के दौरान नियमित गश्त के लिए एवं पाईपलाईन के कहीं से टूटने की दशा में आपातकालीन मरम्मत के लिए 1100 एमएम से 1500 एमएम व्यास के पाईपों के परिवहन के लिए आवश्यक था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अभियान्त्रिकी प्रतिवेदन में नजदीकी क्षेत्र से अवांछनीय यातायात की आशंका से, 31.79 किमी एकल पथ डब्ल्यूबीएम सड़क के निर्माण की सिफारिश की गई थी। तदनुसार, मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (जून 2005) में केवल डब्ल्यूबीएम सड़क के निर्माण को विचारा गया था। संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (मई 2006) में बीटी सड़क का प्रावधान बिना औचित्य के किया गया था। साथ ही, विलोपन/स्थगन के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों में (अगस्त 2009 एवं मई 2010) स्पष्ट किया गया था कि बीटी सड़क निर्माण की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ठेकेदार का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका था तथा सड़क की केवल संस के कार्य के लिए आवश्यकता थी। इसलिये बीटी सड़क का निर्माण आवश्यक नहीं था। नहर के साथ पाईपलाईन डालने का तथ्य भी स्थगन के प्रस्तावों के समय से ही विभाग के ध्यान में था।

इस प्रकार पम्पिंग स्टेशनों की जरूरत का निर्धारण करने में विभाग की विफलता एवं डब्ल्यू बी.एम. सड़क के बजाय बिटूमिनस सड़क के निर्माण के परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय ₹ 9.76 करोड़¹⁶ हुआ।

2.2.3 परिहार्य व्यय

विवाद रहित भूमि एवं कार्यपथ का आरेखण व खाका तथा समतल पत्रक उपलब्ध करवाये बिना कार्य आवंटन किये जाने के कारण ₹ 84.23 लाख का परिहार्य व्यय किया गया।

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों (समय-समय पर संशोधित) के नियम 351 में निर्दिष्ट है कि ऐसी भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए जिसे किसी उत्तरदायी सिविल अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सौंपा नहीं गया हो। पूर्वोक्त नियम 348 का उपनियम (अ) अन्य बातों के साथ यह भी उपबंधित करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से विस्तृत रूपरेखा जारी करने तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए। अनुबंध की शर्तों का क्लॉज 3, उपबंधित करता है कि दोषी ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर दूसरे ठेकेदार से कार्य निष्पादित करवाये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

16. जेविनिटिल को भुगतान: ₹ 4.08 करोड़; उपकरण के लिए ठेकेदार को भुगतान: ₹ 1.63 करोड़; एवं बी.टी. सड़क के लिए ठेकेदार को भुगतान: ₹ 4.03 करोड़।

अभिशाषी अभियन्ता (अअ) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (जस्वाअवि), राजीव गांधी लिफ्ट नहर खण्ड द्वितीय, जोधपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 2012) में प्रकट हुआ कि राज्य सरकार ने एकल पंच द्वारा पारित पंचाट निर्णय एवं माननीय उच्च न्यायालय (उन्ना) द्वारा विभागीय अपील खारिज करने के बाद, संवेदक मै. छगनीराम गहलोत को ₹ 31.70 लाख¹⁷ के भुगतान की स्वीकृति आदेश (अक्टूबर 2011) जारी किये। अग्रेतर अध्ययन पर निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगत हुए:

(अ) परियोजना के पैकेज 7 के अन्तर्गत, राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना परिवर्तित फंज-द्वितीय में आर.डी. 47 से 69 तक ग्रेंवल रोड से वाटर बाऊण्ड मैकाडम (डब्ल्यूबीएम) युक्त बिटुमिन कारपेटिंग का कार्य मै. छगनीराम गहलोत (संवेदक 'अ') को 'जी' अनुसूची (₹ 1.44 करोड़) से 18 प्रतिशत नीचे ₹ 1.18 करोड़ पर, कार्य पूर्ण करने की तिथि 26 दिसम्बर 2003 निर्धारित करते हुये, आवंटित (17 अप्रैल 2003) किया गया।

(ब) संवेदक 'अ' ने मई 2004 तक राशि ₹ 63.00 लाख का डब्ल्यूबीएम कार्य निष्पादित किया और इसके बाद कार्य रोक दिया। कार्य पूर्ण करने की तिथि अक्टूबर 2004 तक बढ़ाई गयी।

(स) चूंकि संवेदक द्वारा प्रगति नहीं दर्शाई गई थी, अअ, खण्ड तृतीय फलौदी ने संवेदक को यथानुपात प्रगति संधारण करने के लिए मई 2004 एवं फरवरी 2006 के बीच नोटिस जारी किये, लेकिन संवेदक द्वारा इसे स्वीकारा नहीं गया।

(द) अंततः राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धन मण्डल की वित्त समिति ने अनुबंध की शर्तों के क्लॉज 3 के तहत कार्यवाही किये जाने का निश्चय किया (12 दिसम्बर 2006) और संवेदक की जोखिम एवं लागत पर कार्य रद्द कर दिया। इस बीच डब्ल्यूबीएम सड़क कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई।

(घ) छोड़ा गया कार्य, मै. बोहरा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (संवेदक 'ब'), फलौदी को 'जी' अनुसूची दर (₹ 68.07 लाख) से 65 प्रतिशत ऊपर ₹ 1.12 करोड़ में, 23 फरवरी 2008 पूर्ण करने की तिथि के साथ, आवंटित किया गया (नवम्बर 2007)। संवेदक 'ब' ने कार्य पूर्ण किया (जून 2008), परन्तु उसे सड़क की मरम्मत के अतिरिक्त कार्य को शामिल करते हुए (नवम्बर 2009 तक) ₹ 1.22 करोड़ का भुगतान किया गया। अन्तिम भुगतान अभी किया जाना बाकी था (अगस्त 2013)। परिणामस्वरूप संवेदक 'अ' द्वारा छोड़े गये कार्य पर ₹ 52.95 लाख¹⁸ एवं बिटुमिन कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत पर ₹ 14.16 लाख अतिरिक्त व्यय किया गया।

17. धरोहर राशि: ₹ 6.30 लाख; शक्ति कटौती: ₹ 8.28 लाख; कार्यस्थल को मफाई: ₹ 0.20 लाख; मिट्टी का क्रमेकेशन: ₹ 0.63 लाख; विशिष्ट परों में कटौती: ₹ 0.99 लाख; अतिरिक्त कार्य की सामग्री की लागत: ₹ 0.96 लाख; मध्यस्थ के लिए जमा: ₹ 0.55 लाख; व्याज भुगतान: ₹ 6.81 लाख एवं ₹ 6.98 लाख।

18. ₹ 107.95 लाख (₹ 118 लाख ₹ 63 लाख)।

(र) विभाग द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के क्लॉज 3 के अन्तर्गत अनुबन्ध रद्द करने की कार्यवाही से असन्तुष्ट संवेदक 'अ' द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण के निपटान के लिए एक मध्यस्थ की नियुक्ति (4 दिसम्बर 2007) की। एकल पंच द्वारा अपने आदेश (15 सितम्बर 2008) में अवलोकित किया कि कार्य स्थल पर किसान गतिरोध पैदा कर रहे थे जिसे ठेकेदार द्वारा विभाग के ध्यान में लाया गया था और इस कारण निष्कर्ष निकाला कि विभाग द्वारा प्रकरण के सुलह के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा ठेकेदार को पूर्ण रूप से विवाद रहित कार्यस्थल उपलब्ध नहीं करवाया गया, जो कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी। विभाग ने संवेदक को कार्यपथ का आरेखन व खाका एवं समतल पत्रक भी समय पर उपलब्ध नहीं करवाया। इन परिस्थितियों में संवेदक के लिए यथानुपात प्रगति प्रदर्शित करना सम्भव नहीं था। इसलिए विभाग को ₹ 24.72 लाख भुगतान करने के साथ-साथ, भुगतान तिथि तक के ब्याज के लिए पूर्णतया जिम्मेदार एवं उत्तरदायी ठहराया गया।

(ल) विभाग ने एकल पंच के निर्णय के विरुद्ध जिला सत्र न्यायालय में अपील दायर की जिसे जिला न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया (4 अगस्त 2010)। विभाग ने जिला न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में पुनः अपील दायर की जिसे भी खारिज कर दिया गया (16 मार्च 2011) परिणामस्वरूप भुगतान के लिए स्वीकृति जारी की गयी।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2013) और बताया कि स्वीकृति आदेश (अक्टूबर 2011), सम्पूर्ण प्रकरण की जांच एवं इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों से वसूली की शर्त के साथ जारी किया गया था। तदनुसार, अधीक्षण अभियन्ता, जस्वाअवि, वृत्त जोधपुर को जांच अधिकारी नियुक्त (नवम्बर 2011) किया गया है एवं प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर कार्यवाही कर ली जायेगी। राज्य सरकार ने आगे बताया कि तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार समस्त प्रयास लोकहित में किए गए थे और वित्त विभाग के अनुमोदन के पश्चात् प्रथम संवेदक को ₹ 31.70 लाख का भुगतान किया गया।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि विभाग स्थल पर ही विषयों का निराकरण करने एवं कार्यपथ का खाका, आरेखन संवेदक को उपलब्ध कराने में विफल रहा जिससे किया गया व्यय परिहार्य परिणामित हुआ।

इस प्रकार, विवाद रहित भूमि उपलब्ध करवाये बिना कार्य का आरंभ किया जाना, कार्य स्थल पर अवरोधन की समस्या के समाधान के लिए निष्क्रियता एवं संवेदक को कार्यपथ का खाका, आरेखन तथा समतल पत्रक उपलब्ध नहीं करवाये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 84.23 लाख¹⁹ का परिहार्य व्यय किया गया।

19 लागत का अन्तर: ₹ 32.93 लाख, सतिप्रस्त डब्ल्यूबीएम के लिए अतिरिक्त कार्य: ₹ 14.16 लाख, स्थल सफाई एवं मिट्टी की सघनता: ₹ 0.83 लाख, सामग्री की प्रप्ति, विच्छाव, समेकन एवं सघनता: ₹ 1.95 लाख, मध्यस्थ के लिए जमा: ₹ 0.55 लाख तथा ब्याज: ₹ 13.79 लाख।

2.3 सतत् एवं व्यापक अनियमितताएँ

वित्त विभाग

2.3.1 पेंशन का सतत् अधिक भुगतान।

कोषाधिकारियों द्वारा निर्धारित जांच करने में असफल रहने के कारण पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि ₹ 91.69 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान हुआ।

राजस्थान सिविल सेवाएँ (पेंशन) नियम, 1996 के परिशिष्ट-VI का नियम 9 अनुबन्धित करता है कि कोषाधिकारी (टीओ), बैंकों द्वारा किये गये भुगतानों की शुद्धता जांच उसके द्वारा संधारित अभिलेखों से करेगा और इसके बाद ही अपने लेखों में व्यवहार सम्मिलित करेगा।

जन लेखा समिति (जलेस) की सिफारिशों की अनुपालना में विभाग ने आगे (जून 2011 और जनवरी 2012) कोषाधिकारियों को पेंशन का सही भुगतान सुनिश्चित करने हेतु बैंकों द्वारा किए गए भुगतान के समवर्ती जांच करने के निर्देश जारी किए।

70 बैंकों एवं 188 कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा किये गये पेंशन भुगतानों के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2002 से मार्च 2013) में प्रकट हुआ कि 193 पेंशनरो को अधिवार्षिकी/पारिवारिक पेंशन का अगस्त 2012 से मार्च 2013 के दौरान, राशि ₹ 91.69 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया जिसमें से राशि ₹ 10.02 लाख की वसूली लेखापरीक्षा की पहल पर कर ली गई थी, जैसाकि नीचे वर्णित है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	किया गया अधिक भुगतान		लेखापरीक्षा की पहल पर की गई वसूली	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् पारिवारिक पेंशन का कम नती किया जाना (राज. सिविल सेवाएँ (पेंशन) नियम 1996 का नियम 62)	44	31.36	05	1.53
2	आश्रितों द्वारा 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने/विवाह करने/निर्भोजन के पश्चात् भी पारिवारिक पेंशन बंद नहीं करना (नियम-67)	01	1.17	-	-
3	पेंशन, इसके लानुकरण के पश्चात् भी कम नहीं किया जाना (नियम 28)	100	20.98	09	3.96

क्र. सं.	विवरण	किया गया अधिक भुगतान		लेखापरीक्षा की पहल पर की गई वसूली	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
4	पेंशनरों को मृत्यु के पश्चात पेंशन का भुगतान	02	0.25	-	-
5	पेंशनरों को उनके पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान मंहगाई राहत का भुगतान (नियम 164)	01	1.38	01	1.38
6	मंहगाई वेतन का गलत भुगतान	01	0.56		
7	पेंशन एवं मंहगाई राहत का अनुमत्य से अधिक दर पर भुगतान	34	31.36	06	3.13
8	उपादान भुगतान से बक्या की वसूली नहीं करना (नियम 92)	09	4.37		
9	विविध	01	0.26		
	योग	193	91.69	21	10.02

बैंकों द्वारा किये गये भुगतान की समवर्ती जांच करने एवं पेंशन के अधिक भुगतान को रोकने में कोषाधिकारियों की विफलता के कारण अनियमितताएँ निरन्तर जारी थीं। स्पष्ट है कि, ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को भविष्य में रोकने के लिए जलेस की सिफारिशों की तत्परता से पालना नहीं किया जा रहा था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार कर अवगत कराया (अक्टूबर 2013) कि राशि ₹ 41.37 लाख की और वसूली कर ली गई है।

2.4 क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं शासन में विफलता

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन और पर्यावरण विभाग

2.4.1 जयपुर में 79 राजकीय अस्पतालों द्वारा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का प्रबन्धन एवं हस्तन तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा विनियमन

2.4.1.1 प्रस्तावना

अस्पतालों एवं अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा निदान, उपचार, मनुष्य एवं पशुओं के प्रतिरक्षोकरण के दौरान जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) उत्पन्न होता है एवं उसमें अप्रचलित दवाओं के अपशिष्ट, धारदार अपशिष्ट, सूक्ष्म जीव विज्ञान सम्बन्धी एवं जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट, मानव अंगों के अपशिष्ट और पशु अपशिष्ट इत्यादि सम्मिलित रहता है। यह अपशिष्ट, यदि इसका समुचित उपचार नहीं किया गया हो, प्रबल संक्रामक और मानव स्वास्थ्य के लिये खतरनाक एवं पर्यावरण के लिये खतरनाक होता है, बीएमडब्ल्यू में उपस्थित जैविक कारक, भोजन एवं जल को प्रदूषित करते हैं और इसके

कारण पाचन संक्रमण जैसे-हैजा, टाइफाइड, पेचिस, संक्रमित हेपेटाइटिस इत्यादि होता है। जलाये जाने के दौरान बीएमडब्ल्यू, विपाकत गैसों उत्पन्न करते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है और आमतौर पर यह लाइलाज कैंसर का कारण होता है।

बीएमडब्ल्यू के उचित प्रबन्धन को सुनिश्चित करने के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (अधिनियम) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम 1998 (नियम) अधिसूचित (20 जुलाई 1998) किये गये और वर्ष 2000 एवं 2003 में संशोधित किये गये। राज्य सरकार ने अधिसूचना (मई 1999) द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (आरएसपीसीबी) को बीएमडब्ल्यू नियमों के क्रियान्वयन हेतु अधिकृत किया। नियमों के नियम 4 के अन्तर्गत बीएमडब्ल्यू उत्पन्न करने वाली संस्था के प्रत्येक अधिभोगी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रकार के अपशिष्ट को मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हस्तन किया गया हो। कोई अधिभोगी अधिनियम/नियमों के किन्हीं प्रावधानों का पालन करने में असफल रहने या उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत दण्ड के लिये उत्तरदायी होगा।

जयपुर शहर में, मार्च 2013 को, 784 बीएमडब्ल्यू उत्पन्न करने वाले केन्द्र (79 स्वास्थ्य सुविधायें (एचसीएफ) राजकीय तथा 705 एचसीएफ निजी क्षेत्र के अन्तर्गत) और एक कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसिलिटी (सीबीडब्ल्यूटीएफ) निजी क्षेत्र के अन्तर्गत मौजूद है। फील्ड अध्ययन हेतु अवाधि 2010-11 से 2012-13 को आवृत्त करते हुये पर्यावरण विभाग एवं आरएसपीसीबी जयपुर के लेखों की अप्रैल से जून 2013 के मध्य नमूना जाँच की गई। अधिनियम/नियमों से सम्बन्धित प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिये आरएसपीसीबी एवं एचसीएफ प्रबन्ध के प्रतिनिधियों के साथ चयनित 22 एचसीएफ³⁰ एवं सीबीडब्ल्यूटीएफ का संयुक्त निरीक्षण अप्रैल से जून 2013 के मध्य किया गया।

जयपुर राजस्थान की राजधानी है जिसमें राज्य के साथ पड़ोसी राज्यों के लोगों की चिकित्सा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 79 राजकीय एचसीएफ है। लेखापरीक्षा की अन्तर्निहित धारणा है कि ये निष्कर्ष राज्य भर में स्थित राजकीय अस्पतालों में समान रूप से प्रासंगिक होंगे।

2.4.1.2 राजकीय एचसीएफ द्वारा अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों की अनुपालना का अभाव

अस्पताल, नर्सिंग होम, पेटोलोजिकल प्रयोगशाला, रक्त बैंक, क्लिनिक इत्यादि एचसीएफ, बीएमडब्ल्यू उत्पन्न करने वाले मुख्य संस्थान हैं। इन संस्थानों में

20. 79 एचसीएफ को राजकीय क्षेत्र के अस्पतालों, जिला अस्पतालों, सेटेलाइट अस्पतालों, शहरी औपचारिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, पशु चिकित्सालयों एवं औपचारिकों में श्रेणीकृत कर रेन्डम आधार पर प्रत्येक श्रेणी में से 20 प्रतिशत चयन करते हुये 20 एचसीएफ का चयन किया गया। एक पशु बहुउद्देशीय चिकित्सालय एवं एक दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय का भी चयन किया गया।

अधिनियम/नियमों के विभिन्न प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने का वर्णन नीचे किया गया है:

समय पर प्राधिकार प्राप्त नहीं किया जाना

21 एचसीएफ ने तीन वर्षों के लिये प्राधिकार प्राप्त नहीं किया जैसा कि नियमों में निर्धारित था

नियम 3(3) में प्राधिकार को, नियमों के अनुसार बीएमडब्ल्यू का उत्सर्जन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, निस्तारण और/या किसी अन्य रूप में हस्तन हेतु निर्धारित प्राधिकारी (आरएसपीसीबी) द्वारा प्रदान की गई अनुमति के रूप में, परिभाषित किया गया है। नियम 7(5) में उपबन्धित है कि प्राधिकार, जारी किये जाने की तिथि से एक वर्ष की आरम्भिक परीक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुये तीन वर्ष की अवधि के लिये मंजूर किया जायेगा। इसके पश्चात अधिभोगी/प्रवर्तक द्वारा इसके नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र दिया जायेगा। पश्चात्पूर्वी सभी प्राधिकार तीन वर्ष की अवधि के लिये होंगे। नियम 8(1) में उपबन्धित है कि प्रत्येक एचसीएफ, जो 1000 या अधिक रोगियों का प्रतिमाह इलाज कर रहा है, को प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार के प्राधिकार के नवीनीकरण हेतु इसकी समाप्ति तिथि से कम से कम 120 दिन पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

यह देखा गया कि वर्ष 2010-11 के दौरान 56 राजकीय एचसीएफ, जिन्हें प्राधिकार की आवश्यकता थी, में से 52 एचसीएफ ने इसे प्राप्त किया, वह भी वार्षिक आधार पर। चार ने आवश्यक प्राधिकार प्राप्त नहीं किया। इनमें से वर्ष 2011-12 के दौरान 30 एचसीएफ ने नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया, जबकि वर्ष 2012-13 के दौरान 50 ने आवेदन नहीं किया। राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, जयपुर को 2012-15 के लिये 3 वर्षों के लिये नवीनीकरण मंजूर किया गया। इसके अलावा 26 एचसीएफ (2010-11 में 3, 2011-12 में 18 एवं 2012-13 में 5) द्वारा नवीनीकरण हेतु निर्धारित अवधि 120 दिन के बाद आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रकार ये राजकीय एचसीएफ प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे थे और अनधिकृत रूप से कार्य कर रहे थे। अतः पूर्वोक्तानुसार अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही के लिये दायी थे।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये बताया (नवम्बर 2013) कि राज्य बोर्ड को बीएमडब्ल्यू नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं किये जाने की जानकारी थी। दोपी एचसीएफ के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी और प्रकरण राज्य सलाहकार समिति और सरकार के ध्यान में लाया गया। राजकीय अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किये जा चुके हैं। 15 पशु अस्पतालों द्वारा आरएसपीसीबी से प्राधिकार प्राप्त किया जा चुका था। तथ्य यह रहा कि दोपी एचसीएफ के विरुद्ध ठोस कार्यवाही की जानी अभी तक शेष थी।

बीएमडब्ल्यू का पृथक्करण नहीं किया जा रहा था

नमूना जाँच किये गये 21 एचसीएफ द्वारा बीएमडब्ल्यू का उचित कलर कोड सहित पृथक्करण नहीं किया गया

नियम 6(1) उपबन्धित करता है कि बीएमडब्ल्यू को किसी अन्य अपशिष्ट के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिये जबकि इसके भण्डारण, परिवहन, उपचार एवं

निस्तारण से पूर्व बीएमडब्ल्यू के उत्सर्जन स्थान (एचसीएफ) पर पृथक्करण किये जाने को नियम 6(2) में उपबन्धित किया गया है। अनुसूची II में बीएमडब्ल्यू के निस्तारण हेतु रंग संकेत और कन्टेनर के प्रकार को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

रंग संकेत	अपशिष्ट की श्रेणी	उपचार का साधन
नीला	मानव और अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, सूक्ष्म बैक्टीरियल एवं जैव प्रौद्योगिक अपशिष्ट, रक्त व श्रृंखला दोष अपशिष्ट	भस्मन/गहरा गड़गा
लाल	विस्फोटक कन्टेनर और ठोस अपशिष्ट जैसे कि पदार्थों, लकड़ों के नचे, चिम्तर आदि	ऑटोक्लेविंग/सूक्ष्म तरंगण/गमामायनिक उपचार
नीला/लाल/नारंगी	सूई, मिस्त्रिज, स्केलेल, ब्लेड, शीशा, ड्रव, कैंटिन आदि	ऑटोक्लेविंग/सूक्ष्म तरंगण/गमामायनिक उपचार और विच्छेदक/शीर्षण
काला	पुरानी, संक्षुभित और लज्जित औषधियां, भस्मन में राख और रासायनिक अपशिष्ट	सुक्ष्म लेन्डफिल में निस्तारण

79 राजकीय एचसीएफ में से 22 का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। यह पाया गया कि रंग संकेतों के अनुसार उत्सर्जन स्थान पर केवल एक एचसीएफ (हरीबक्ष कावंटिया अस्पताल) में बीएमडब्ल्यू का पृथक्करण किया जा रहा था, शेष 21 एचसीएफ में बीएमडब्ल्यू बिना रंग संकेतों का अनुसरण किये, कॉमन कन्टेनर में रखा जा रहा था एवं इसे नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के साथ भी मिश्रित किया जा रहा था। सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल में निरीक्षण किये गये 23 वार्डों में से 10 वार्डों में सभी चार रंग के कन्टेनर उपलब्ध नहीं करवाये गये थे, जबकि शेष 13 वार्डों में बीएमडब्ल्यू का पृथक्करण नहीं किया जा रहा था, यद्यपि सभी प्रकार के कन्टेनर उपलब्ध करवाये गये थे।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये बताया (नवम्बर 2013) कि प्रत्येक राजकीय अस्पताल के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी और इन अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किये जा चुके थे।

बीएमडब्ल्यू का अनुचित भण्डारण एवं परिवहन

अनुपचारित बीएमडब्ल्यू को निर्धारित अवधि के बाद रखा गया

बीएमडब्ल्यू नियमों का नियम 6(5) उपबन्धित करता है कि कोई अनुपचारित बीएमडब्ल्यू 48 घण्टे की अवधि से अधिक भण्डारित नहीं रखा जायेगा। 18 एचसीएफ²¹ के संयुक्त निरीक्षण में यह ज्ञात हुआ कि निर्विष्ट नियमों का उल्लंघन करते हुये इन एचसीएफ में 48 घण्टे की निर्धारित अवधि से अधिक अनुपचारित बीएमडब्ल्यू को रखा जा रहा था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये बताया (नवम्बर 2013) कि प्रत्येक राजकीय अस्पताल के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी और इन अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किये जा चुके थे।

21. नमूना जांच किये गये 22 एचसीएफ में से एसएमएस अस्पताल, महिला चिकित्सालय, श्री हरिबक्ष कावंटिया अस्पताल और पशु बहुदेशीय चिकित्सालय को छोड़कर

बीएमडब्ल्यू का अनुचित निस्तारण

उत्सर्जित बीएमडब्ल्यू के निस्तारण हेतु 23 पशु औषधालयों को सीबीडब्ल्यूएफटी से नहीं जोड़ा गया और वर्ष 2010-13 के दौरान 30 अन्य एचसीएफ भी नहीं जोड़े गये

- बीएमडब्ल्यू नियमों का नियम 5(2), अपशिष्ट के उपचार हेतु अपेक्षित बीएमडब्ल्यू उपचार सुविधाओं जैसे इनसिनेरेटर, ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव प्रणाली को स्थापना करने या अपशिष्ट के सोबीडब्ल्यूटीएफ पर अपेक्षित उपचार को सुनिश्चित किये जाने को उपबन्धित करता है। खुले स्थानों में बीएमडब्ल्यू को जलाना हवा में कार्सिनोजेनिक गैसों के उत्सर्जन का कारण बनता है, जो कि आसपास के निवासियों के स्वास्थ्य के लिये खतरनाक साबित हो सकता है।

यह दृष्टिगत हुआ कि 56 एचसीएफ (23 पशु औषधालयों के अलावा) में से वर्ष 2010-11 में 4 एचसीएफ, 2011-12 में 7 एचसीएफ और 2012-13 में 19 एचसीएफ में उनकी स्वयं की उपचार सुविधा नहीं थी और वे सीबीडब्ल्यूटीएफ से भी नहीं जुड़े हुये थे। बीएमडब्ल्यू के उत्सर्जन एवं जिस तरीके से इनका निस्तारण किया जा रहा था, के अभिलेख भी उनके द्वारा संधारित नहीं किये जा रहे थे। इसलिये इन एचसीएफ द्वारा उत्सर्जित किये गये बीएमडब्ल्यू को कैसे निस्तारण किया गया, सुनिश्चित नहीं किया जा सका। सभी 23 पशु औषधालय सीबीडब्ल्यूटीएफ से जुड़े हुये नहीं थे और उत्सर्जित बीएमडब्ल्यू या तो जला दिया गया या खुले गड्ढों में डाल दिया गया था।



पशु चिकित्सालय, जगतपुरा, जबपुर में बीएमडब्ल्यू को जलाया गया

जयपुरिया अस्पताल के संयुक्त निरीक्षण (27 मई 2013) में यह देखा गया कि 23 मई 2013 के पश्चात् सीबीडब्ल्यूटीएफ द्वारा बीएमडब्ल्यू को नहीं उठाया गया और उत्सर्जित बीएमडब्ल्यू को अस्पताल परिसर के बाहर जलाया जा रहा था। इसी प्रकार, वर्ष 2010-13 के दौरान चार एचसीएफ²² में उत्सर्जित बीएमडब्ल्यू को उनके परिसर में जलाकर निस्तारित किया गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग इस तरह की उत्सर्जित गैसों के बुरे प्रभाव से संभाव्य प्रवृत्त हुये।

22. तिलक नगर, बरकत नगर, मानसरोवर, सेक्टर 3 और मालवीय नगर, सेक्टर 6



जयपुरिया अस्पताल, जयपुर में बीएमडब्ल्यू जलाना गया

● नियमों की अनुसूची 1 के अनुसार, अपशिष्ट, जैसे कि इन्ट्रावीनस फ्लूड बोतलों और शार्पस (सूईयां/सिरिन्ज) को ऑटोकलेव/माइक्रोवेव, मुड़ाई तुड़ाई की जाकर एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट घोल से संक्रमण रहित की जानी थी और नगरपालिका लेण्डफिल्ल में दबाकर या पुनः चक्रित कर निस्तारित किया जाना था।

नमूना जॉच की गयी 20 राजकीय एचसीएफ में बोतलें, इन्ट्रावीनस फ्लूड बोतलें, सूईयां, सिरिन्ज आदि को सीबीडब्ल्यूटीएफ में भेजे जाने से पूर्व विसंक्रमित नहीं किया जा रहा था। राजकीय डिस्पेंसरी, पुरानो बस्ती में इस्तेमाल की गई शीशियां, सिरिन्ज/सूईयां, तरल पदार्थ की बोतलें विसंक्रमित किये बिना कागज के कार्टून में संग्रहित की जा रही थी। इस्तेमाल की गई इन वस्तुओं के अनधिकृत पुनःचक्रण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

● नियमों की अनुसूची V के अनुसार, अस्पतालों से उत्पन्न तरल स्त्रावी अपशिष्ट निर्दिष्ट सीमा²³ के अनुरूप होने चाहिये।

यह प्रेक्षित हुआ कि छः एचसीएफ में से पांच²⁴ में तरल अपशिष्ट के उपचार हेतु बहिःस्त्रावी उपचार संयंत्र (ईटीपी) स्थापित नहीं किये गये थे और एचसीएफ, इस तरह के अपशिष्ट को सीधे सार्वजनिक सीवर में प्रवाहित कर रहे थे। महिला चिकित्सालय, जहाँ सितम्बर 2011 में ईटीपी की स्थापना की गई थी, में आरएसपीसीबी द्वारा, तरल स्त्रावी अपशिष्ट सीमा को सुनिश्चित किये जाने के लिये तरल अपशिष्ट के नमूने नहीं लिये गये।

राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकार करते हुये बताया (नवम्बर 2013) कि इन राजकीय अस्पतालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी और इन अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे। पशु औषधालयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2013) कि सभी औषधालयों द्वारा उत्सर्जित किये गये बीएमडब्ल्यू का निस्तारण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भविष्य में मै. इन्सट्रुमेण्टिक्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।

23. पीएच. सस्पेंडेड सॉलिड्स, अषिल और ग्रिस, वीओडी, मीओडी, बायो.एसी टेस्ट

24. एसएमएस अस्पताल, राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, जयपुरिया अस्पताल, हरि ब्रह्म कंत्राटिया अस्पताल, और पशु बहुउद्देश्यीय चिकित्सालय

निरीक्षण किये गये सभी एचसीएफ में अपशिष्ट संचालकों द्वारा सुरक्षा उपायों का प्रयोग नहीं किया जा रहा था

सुरक्षा उपायों को अपनाये जाने का अभाव

नियमों का नियम 4 उपबन्धित करता है कि बीएमडब्ल्यू उत्सर्जित करने वाले संस्थान के प्रत्येक अधिभोगी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये, कि इस प्रकार के अपशिष्ट का निस्तारण करने में मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपनी वेबसाईट पर सुरक्षा उपायों के रूप में एचसीएफ में स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्ट प्रबन्धन के उचित क्रियान्वयन हेतु सामग्री (सुरक्षात्मक कपड़े, जूते, दस्ताने, एप्रन, टोपी, मास्क) की सूची तैयार की गई है।

यह प्रेक्षित हुआ कि निरीक्षण किये गये 22 एचसीएफ में किसी ने भी अपशिष्ट संचालकों को ये आइटम उपलब्ध नहीं करवाये। बीएमडब्ल्यू के लिये कोई भण्डारण कक्ष उपलब्ध नहीं कराया तथा बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में बीएमडब्ल्यू थैलियों को खुले मैदान में रखा गया। हरिबक्ष कांवटिया अस्पताल, जयपुरिया अस्पताल और राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल में भण्डारण कक्ष से तरल अपशिष्ट खुले मैदान में बाहर आ रहा था, जो जमीन में रिसाव हो कर भूजल को दूषित कर रहा था। 6 एचसीएफ में बीएमडब्ल्यू के आन्तरिक परिवहन के लिये कोई ढँकी हुई ट्रॉलियों उपलब्ध नहीं करवायी गई थी।



एसएमएस अस्पताल, जयपुर में अपशिष्ट संचालकों के लिये कोई सुरक्षा उपाय नहीं था।



पशु बहुउद्देशीय चिकित्सालय, जयपुर में बीएमडब्ल्यू के आन्तरिक परिवहन के लिये ढँकी हुई ट्रॉली नहीं थी।

25. एसएमएस अस्पताल, मांडिल चिकित्सालय, राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, जयपुरिया अस्पताल, हरि बक्ष कांवटिया अस्पताल एवं बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये, बताया (नवम्बर 2013) कि प्रत्येक राजकीय अस्पताल के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी तथा इन अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किये जा चुके थे। आगे बताया कि सुरक्षा आईटम जैसे-चेहरे का मास्क, रबर के जूते, एप्रन और दस्ताने आदि बीएमडब्ल्यू से संबंधित कार्य करने वाले स्टाफ को अब उपलब्ध करवा दिये गये हैं तथा बीएमडब्ल्यू रखने के लिये एक पृथक कमरे का उपयोग किया जा रहा है।

अभिलेखों के संधारण का अभाव

नियमों में निर्धारित
अभिलेख संधारित नहीं
किये गये

नियमों के नियम 11(1) में उपबन्धित किया गया है कि सभी प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा इन नियमों के अनुसार बीएमडब्ल्यू के उत्सर्जन, संग्रहण, प्राप्ति, भण्डारण, परिवहन, उपचार एवं निस्तारण से सम्बन्धित अभिलेख संधारित किया जाना आवश्यक है।

22 एचसीएफ की नमूना जांच में देखा गया कि 18 एचसीएफ⁶⁶ में अवधि 2010-13 के दौरान बीएमडब्ल्यू के उत्सर्जन, संग्रहण एवं परिवहन से सम्बन्धित अभिलेख संधारित नहीं किये गये थे।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुये बताया (नवम्बर 2013) कि प्रत्येक राजकीय अस्पताल के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी और इन अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किये जा चुके थे तथा अभिलेख संधारित किये जाने हेतु सभी औषधालयों को अब रजिस्टर उपलब्ध करवा दिये गये थे।

2.4.1.3 सीबीडब्ल्यूटीएफ द्वारा अधिनियम/नियमों के प्रावधानों एवं दिशानिर्देशों की अनुपालना का अभाव

नियमों (यथा संशोधित) के नियम 14 के अनुसार नगर निगम, नगरपालिका या शहरी स्थानीय निकाय, जैसा भी मामला हों, अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत उत्सर्जन बीएमडब्ल्यू के उपयुक्त सार्वजनिक निस्तारण/भस्मीकरण हेतु जगह उपलब्ध कराने के लिये जिम्मेदार होंगे। तदनुसार जयपुर नगर निगम ने, मै.इन्स्ट्रामेडिकस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जयपुर जिले के ग्राम खोरी रोपाड़ा में इनसीनरेटर माइक्रोवेव/ऑटोकलेव एवं श्रेंडर स्थापित एवं संचालित करने के लिये अनुबन्ध किया (मिसेम्बर 2001)। फर्म को आरएसपीसीबी द्वारा बीएमडब्ल्यू के निस्तारण हेतु सीबीडब्ल्यूटीएफ के संचालन के लिये विधिवत अधिकृत किया गया। सीबीडब्ल्यूटीएफ के कार्यकलापों में प्रेश्रित कमियों को नीचे वर्णित किया गया है:

26. राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल; शहरी औषधालय, पुरानी बस्ती; शहरी औषधालय, सिरह डयांड़ी; शहरी औषधालय, बनीपार्क, शहरी औषधालय, तिलक नगर; शहरी औषधालय, सचिवालय; शहरी औषधालय, बरकत नगर; शहरी औषधालय, दुर्गापुरा; प्रास्वार्क, सेक्टर 8 गानसरोवर; प्रास्वार्क सेक्टर 6, गालवीय नगर; पशु बहुउद्देशीय चिकित्सालय, पांचवली; पशु अस्पताल, हीरापुरा; पशु अस्पताल, जगतपुरा; पशु अस्पताल, जयपुरिया, पशु अस्पताल, मानसरोवर; पशु चिकित्सालय, जामडोली; पशु उपकेन्द्र पालडीगीना, पशु उपकेन्द्र, रागनगर, सोडाला

बीएमडब्ल्यू का अनुचित संग्रहण एवं परिवहन

सीबीडब्ल्यूटीएफ द्वारा संग्रहित बीएमडब्ल्यू को रंगीन कक्षों में परिवहन नहीं किया गया।

केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशा निर्देशों (अगस्त 2003) के अनुच्छेद 'एच-1' और 'एच-2' परिकल्पित करते हैं कि बीएमडब्ल्यू के संग्रहण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा अपशिष्ट की प्राप्ति के प्रकार एवं मात्रा के अभिलेख संधारित करने के लिये रजिस्टर रखा जाना चाहिये। एचसीएफ से रंगीन कन्टेनर/थैलो में संग्रहित बीएमडब्ल्यू को केवल बीएमडब्ल्यू के परिवहन के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित वाहन में सीबीडब्ल्यूटीएफ के लिये परिवहन किया जाना चाहिये। अपशिष्ट कन्टेनरों के स्तरीय भण्डारण के लिये अपशिष्ट कंविन को डिजायन किया जायेगा।

संयुक्त निरीक्षण (29 मई 2013) के दौरान यह देखा गया कि एसएमएस अस्पताल से सीबीडब्ल्यूटीएफ द्वारा एकत्र बीएमडब्ल्यू अलग रंग के कक्षों में नहीं रखा गया था और दिशा निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सभी बैगों को एक साथ कंविन में रखा जा रहा था। विवरण, जैसे कि वजन, नहीं लिया जा रहा था और इसकी प्रविष्टियाँ रजिस्टर में केवल अनुमानित आधार पर की जा रही थीं।



सीबीडब्ल्यूटीएफ द्वारा एक सामान्य चैम्बर में बीएमडब्ल्यू का परिवहन

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2013) कि आरएसपीसीबी ने सीबीडब्ल्यूटीएफ के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही एवं रद्द करने हेतु कारण बताओ नोटिस (अगस्त 2013) जारी कर दिया था।

सीबीडब्ल्यूटीएफ पर बीएमडब्ल्यू का अनुचित जगह पर भंडारण

बीएमडब्ल्यू का भण्डारण ऐसे ढकी हुई टिन शैड में किया जा रहा था जहां आधारभूत सुविधाएँ नहीं थी

सीपीसीबी दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 'एफ' के अनुसार अपशिष्ट, मुख्य भण्डार कक्ष में कंटेनरों की रंग संकेतों द्वारा स्पष्ट पहचान बनाते हुये रखा जायेगा। यहाँ से रंगीन कंटेनरों को संबंधित उपचार उपकरणों के लिए भेजा जा सकता है। मुख्य भण्डारण में, जैसे कि छत, अच्छी हवादार व धुलाई में आसान फर्श एवं दीवारों और चिकनी व सपाट सतह इत्यादि का प्रावधान होगा।

संयुक्त निरीक्षण (6 जून 2013) के दौरान यह देखा गया कि सीबीडब्ल्यूटीएफ का विद्यमान भण्डार कक्ष क्षतिग्रस्त था एवं बीएमडब्ल्यू का भण्डारण एक ढकी हुई टिन शैड में किया जा रहा था। अस्थायी कमरे में आवश्यक प्रावधान

जैसे कि छत, अच्छी तरह धुल सकने वाली फर्श एवं सपाट सतह आदि नहीं थी। बीएमडब्ल्यू बैगों को इकट्ठा रखा गया था एवं अलग नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया (नवम्बर 2013) कि सीबीडब्ल्यूटीएफ के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही की जा रही थी।

सीबीडब्ल्यूटीएफ पर बीएमडब्ल्यू का निस्तारण निर्धारित तरीके से नहीं किया जाना

संयुक्त निरीक्षण के दौरान सीबीडब्ल्यूटीएफ पर नियमों/दिशानिर्देशों के निम्नलिखित उल्लंघन ज्ञात हुये।

- सीपीसीबी दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 'जी' के अनुसार प्रत्येक बैच के वजन को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक उपचार उपकरण के लिए एक लॉगबुक संधारित की जानी चाहिए।

यह देखा गया कि इनसिनरेटेड किये जाने वाले बीएमडब्ल्यू के प्रत्येक बैच का वजन इनसिनरेटर के स्वचालित रिकार्डिंग डिवाइस द्वारा नहीं दिखाया जा रहा था और लॉग बुक में प्रविष्टियाँ अनुमानित आधार पर की जा रही थी।

- नियमों की अनुसूची V (अ एवं ब) में उपबन्धित है कि इनसिनरेटर का परिचालन करते हुए प्राथमिक एवं द्वितीयक कक्षों का तापमान क्रमशः $800 \pm 50^{\circ}\text{से.}$ और $1050 - 50^{\circ}\text{से.}$ बनाये रखा जाना चाहिये।

इनसिनरेटर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कक्षों में आवश्यक तापमान नहीं बनाये रखा गया

यह देखा गया कि यद्यपि इनसिनरेटर के स्वचालित रिकार्डिंग डिवाइस में तापमान प्रदर्शित किया जा रहा था, सीबीडब्ल्यूटीएफ ने नियमित रूप से बीएमडब्ल्यू के प्रत्येक बैच के लिए कक्षों का निर्धारित तापमान नहीं बनाये रखा (जुलाई 2011 से मई 2013)। अतः विषाक्त प्रदूषण के उत्सर्जन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

- पूर्वोक्त नियमों की अनुसूची V के अधीन इनसिनरेटर के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार, आरएसपीसीबी द्वारा पाँच मापदण्डों की निगरानी की जानी आवश्यक थी।

इनसिनरेटर के आंकड़ों की संवोक्षा में प्रकट हुआ कि प्रदूषण सीमा को बनाये रखने के लिए आरएसपीसीबी द्वारा मापदण्ड 'राख में वाष्पील कार्बनिक यौगिकों' की निगरानी नहीं की गई।

- पूर्वोक्त नियमों के अनुसूची I के अनुसार सूक्ष्म जैविक और जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट, शार्प अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट को आटोकलेव के माध्यम से उपचारित किया जाना आवश्यक था।

यह देखा गया कि आटोकलेव रिकार्डिंग डिवाइस के आंकड़े 12 अप्रैल 2013 से उपलब्ध नहीं थे। दिनांक 6 जून 2013 को निरीक्षण के दौरान

आटोकलेव खराब पाया गया अतएव यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि प्लास्टिक सामग्री एवं शार्प अपशिष्ट को इस अवधि में क्रीटापुरहित किया गया था।

- पूर्वोक्त नियमों के अनुसूची V के अधीन मानकों के अनुसार आटोकलेव के लिए रेजीडेन्स टाइम जो 60 मिनट से कम न हो, पर तापमान 121^{सें0} एवं दबाव 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच से कम नहीं बनाये रखना चाहिए।

यह देखा गया था कि आटोकलेव प्रक्रिया के दौरान न्यूनतम तापमान प्राप्त नहीं किया गया था एवं आटोकलेव का दबाव डेटास्केनर में नहीं दिखाया जा रहा था। अतएव, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि बीएमडब्ल्यू आटोकलेव प्रक्रिया के दौरान ठीक तरह से उपचारित किया जा रहा था।

- पूर्वोक्त नियम 6 की अनुसूची II के अनुसार, लाल थैलियों में बीएमडब्ल्यू (क्रीटापुरहित कंटेनर, पट्टियों, सोइल्ड पलस्तर के सांचों, बिस्तरों इत्यादि) को भस्मन किये जाने से पूर्व ऑटोकलेव्ड एवं रसायन उपचारित किया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि इन्हें ऑटोकलेव में क्रीटापुरहित किये बिना भस्मित किया जा रहा था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2013) कि सीबीडब्ल्यूटीएफ के विरुद्ध कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही को गई है।

सीबीडब्ल्यूटीएफ द्वारा बिना पृथक्करण किया बीएमडब्ल्यू स्वीकार किया जाना

सीबीडब्ल्यूटीएफ ने एचसीएफ से बिना पृथक्करण किया बीएमडब्ल्यू स्वीकार किया।

सीपीसीबी दिशानिर्देशों की जांच सूची उपबन्धित करती है कि सीबीडब्ल्यूटीएफ परिचालक बिना पृथक् किया अपशिष्ट स्वीकार नहीं करेंगे और ऐसे मामलों को विहित प्राधिकारी को सूचित करेंगे।

जैसा कि पूर्व में उपरोक्त अनुच्छेद 2.4.1.2 में बताया गया है, 21 एचसीएफ बीएमडब्ल्यू को पृथक् नहीं कर रहे थे। इस प्रकार, सीबीडब्ल्यूटीएफ परिचालक द्वारा अपृथीकृत बीएमडब्ल्यू उठाया जा रहा था। विहित प्राधिकारी को सूचना दिये बिना अपृथक् बीएमडब्ल्यू को स्वीकार करना उक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2013) कि काफी हद तक सरकारी अस्पतालों द्वारा बीएमडब्ल्यू को रंग संकेतों के अनुसार पृथक् करने में सक्षम नहीं होने के कारण यह समस्या थी। इस कारण सीपीडब्ल्यूटीएफ को अपृथक् अपशिष्ट उठाने को मजबूर होना पड़ा। मामला प्रत्येक अस्पतालों एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ उठाया जा चुका है। तथ्य यह रहा कि सीबीडब्ल्यूटीएफ ने नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया।

आवासीय क्षेत्र के समीप जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण के लिए स्थान

सीपीसीबी के दिशानिर्देशों के पैरा 'बी' के अनुसार, सीबीडब्ल्यूटीएफ को ऐसे स्थानों पर, जो कि यथोचित रूप से आवासीय एवं संवेदनशील क्षेत्रों से दूर (500 मीटर) हो, स्थित होना चाहिये ताकि वे इन क्षेत्रों पर कम से कम प्रभाव डालें।

दशानिर्देशों के प्रावधानों के विपरीत, सीबीडब्ल्यूटीएफ खोरी-रोपड़ा, कानोता जयपुर ऐसे स्थान पर स्थित था जहाँ पर मानव आबादी फंसिलिटी के काफो समीप स्थित थी और वह निवासियों को नुकसानदायक वातावरण प्रदान कर रहा था।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2013) कि सीबीडब्ल्यूटीएफ को भूमि, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग (एलएसजीडी) द्वारा प्रदान की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एलएसजीडी ने परिपत्र दिनांक 19 जनवरी 2010 में ऐसे संयंत्र से 500 मीटर परिधि के क्षेत्र 'बफर जोन' घोषित किया था और आरएसपीसीबी द्वारा सीबीडब्ल्यूटीएफ को प्राधिकार, दिशानिर्देशों के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए मंजूर किया गया था।

सीबीडब्ल्यूटीएफ द्वारा आवधिक परीक्षण नहीं किये गये

सीबीडब्ल्यूटीएफ ने दिशानिर्देश में निर्धारित त्रैमासिक परीक्षण नहीं किये।

सीपीसीबी दिशानिर्देश के अनुच्छेद 'के (7)' के अनुसार, सीबीडब्ल्यूटीएफ परिचालक इनसीनरेटर, इनसीनरेटर ऐश टेस्ट, बेलिडेशन टेस्ट आफ आटोकलेब के मानकों के लिये स्टेक एमिशन टेस्ट एवं सीबीडब्ल्यूटीएफ से प्रवाहित किये जा रहे किसी तरल अपशिष्ट पर लागू मानकों के लिए कम से कम त्रैमासिक परीक्षण अनुमोदित प्रयोगशाला से करवायेगें और प्रतिवेदन आरएसपीसीबी को प्रस्तुत करेंगे।

आरएसपीसीबी के अभिलेखों से पता चला कि सीबीडब्ल्यूटीएफ परिचालक ने उक्त त्रैमासिक परीक्षण नहीं करवाये और वर्ष 2010 11 और 2012 13 के दौरान प्रतिवेदन आरएसपीसीबी को प्रस्तुत नहीं किये।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2013) कि आरएसपीसीबी भविष्य में सीबीडब्ल्यूटीएफ द्वारा ऐसे परीक्षण किया जाना सुनिश्चित करेगा।

2.4.1.4 आरएसपीसीबी द्वारा निगरानी एवं पर्यवेक्षण

एचसीएफ और सीबीडब्ल्यूटीएफ द्वारा व्यापक पैमाने पर बीएमडब्ल्यू के संग्रहण, पृथक्करण और निस्तारण के संबंध में अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को लागू नहीं करना, आरएसपीसीबी के निवामक कामकाज की प्रभावकारिता पर गंभीर सवाल उठाता है अतः आरएसपीसीबी के अभिलेखों की अप्रैल से जून 2013 के दौरान संवीक्षा की गई जिसमें निम्नलिखित कमियों का पता चला:

आरएसपीसीबी द्वारा एचसीएफ की पहचान नहीं किया जाना

आरएसपीसीबी द्वारा एचसीएफ की पहचान हेतु कोई सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया था।

आरएसपीसीबी के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि आरएसपीसीबी द्वारा संचालित एचसीएफ की पहचान नहीं की गई।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2013) कि सीमित कर्मचारी एवं आधारभूत सुविधाओं के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। आगे यह बताया कि इस प्रकार का कोई विशिष्ट नियम नहीं है जिसके अधीन नये एचसीएफ को खुद का पंजीकरण करवाना आवश्यक है।

एचसीएफ की पहचान के अभाव में उत्तर स्वीकार्य नहीं है। यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या जयपुर में स्थित सभी संचालित एचसीएफ, आरएसपीसीबी द्वारा प्राधिकृत किये गये हैं।

आरएसपीसीबी द्वारा एचसीएफ का निरीक्षण नहीं किया जाना

आरएसपीसीबी द्वारा एचसीएफ का निरीक्षण नहीं किया गया

बीएमडब्ल्यू नियमों के नियम 11 के अनुसार, एचसीएफ द्वारा नियमों के तहत संधारित सभी अभिलेख, आरएसपीसीबी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण एवं सत्यापन के अधीन थे।

71 एचसीएफ का अवधि 2010-13 के दौरान कोई निरीक्षण नहीं किया गया जबकि 8 अस्पतालों में निरीक्षण अन्तरकालिक किया गया।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2013) कि सीमित मानव संसाधन एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के कारण एचसीएफ का निरीक्षण नहीं किया जा सका। तथा यह रहा कि आरएसपीसीबी अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में विफल रहा।

आरएसपीसीबी द्वारा सीपीसीबी को पूर्ण वार्षिक प्रतिवेदनों का प्रस्तुत नहीं किया जाना

सीपीसीबी को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी

बीएमडब्ल्यू नियमों के नियम 10 के अनुसार प्रत्येक अधिभोगी को प्रतिवर्ष 31 जनवरी तक आरएसपीसीबी को पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान बीएमडब्ल्यू के उत्सर्जन एवं निस्तारण की श्रेणियों एवं मात्रा के बारे में वार्षिक सूचना प्रस्तुत की जानी थी। आरएसपीसीबी को यह सूचना सीपीसीबी को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक भेजनी थी।

आरएसपीसीबी की वार्षिक प्रतिवेदनों की संवीक्षा में पता चला कि संबंधित वर्ष की निर्धारित दिनांक 31 मार्च के विरुद्ध, वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, सीपीसीबी को क्रमशः 1 सितम्बर 2011 और 22 अगस्त 2012 को प्रेषित किया गया था। श्रेणी वार उत्सर्जित एवं उपचारित बीएमडब्ल्यू को प्रतिवेदन में नहीं दर्शाया गया था। प्रतिवेदन में बीएमडब्ल्यू का प्रतिदिन उत्सर्जन, वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान क्रमशः 12,640.06 किग्रा और 14,171.05 किग्रा दर्शाया गया था। जबकि उपचारित बीएमडब्ल्यू मात्र 7,554.04 किग्रा एवं 9,646.25 किग्रा प्रतिदिन दर्शाया गया था। शेष रही

बीएमडब्ल्यू मात्रा 5,086.02 किग्रा एवं 4,524.80 किग्रा का निपटान किये जाने के तरीके को नहीं दर्शाया गया था। 79 सरकारी एचसीएफ में से 70 एचसीएफ ने आरएसपीसीबी को निर्धारित वार्षिक प्रतिवेदन नहीं भेजा जबकि 9 एचसीएफ²⁷ ने अपना वार्षिक प्रतिवेदन पाँच माह तक को देरी से भेजा।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2013) कि वार्षिक प्रतिवेदन सीपीसीबी द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार किये गये थे। बीएमडब्ल्यू के उत्सर्जन एवं उपचारित आंकड़ों में कमियों के बारे में, राज्य सरकार ने बताया कि उत्सर्जित बीएमडब्ल्यू के आंकड़े अनुमानित आधार पर थे जबकि उपचारित बीएमडब्ल्यू के आंकड़े वास्तविक आधार पर आधारित थे। इसके अलावा आरएसपीसीबी ऐसे सभी एचसीएफ के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है जो कि सीबीडब्ल्यूटीएफ से जुड़े हुए नहीं हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बीएमडब्ल्यू की मात्रा और श्रेणियों के विवरण के अभाव में जिसका दर्शाया जाना आवश्यक था वार्षिक सूचना अधूरी थी।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

2.4.2 मानस आरोग्य सदन हार्ट केयर एण्ड मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल की लीज के लिये निजी-जन सहभागिता निविदा मूल्यांकन एवं एग्रीमेन्ट में हेरफेर के कारण ₹ 290.16 करोड़ की हानि।

2.4.2.1 प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के 31 मार्च 2010 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) के अनुच्छेद 3.5.3 में उल्लेख किया गया था, कि अप्रैल, 2009 में ₹ 26.08 करोड़ की लागत से निर्मित मानस आरोग्य सदन अस्पताल भवन का उपयोग 20 माह तक भी नहीं हुआ था। जनवरी 2010 में अस्पताल को संयुक्त उपक्रम के रूप में चलाने के लिये निजी सहभागिता आमंत्रित करने का, राज्य सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन किया। प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में मार्च 2010 में प्रस्तावों को जांच एवं निजी सहभागियों के चयन के लिये एक समिति का गठन किया गया। पीडीकोर लिमिटेड (पीडीकोर), राजस्थान सरकार और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएल एण्ड एफएस) की संयुक्त उपक्रम कम्पनी, को प्रक्रिया संबंधी दस्तावेजों, रिक्वेस्ट फॉर प्रॉपोजल (आरएफपी) दस्तावेज, साइनिंग ऑफ एग्रीमेन्ट से सम्बन्धित दस्तावेज इत्यादि तैयार करने के लिये सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अन्ततः, 30 वर्ष की अवधि या इससे पहले समापन तक की लीज पर अस्पताल के संचालन हेतु, मेसर्स मेट्रो इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (मेट्रो) के साथ, 7 दिसम्बर 2011 को कन्सेशन एग्रीमेन्ट किया

27. सेटेलाइट अस्पताल, बर्नपार्क; सेटेलाइट अस्पताल, सेठी कॉलोनी; एसएमएस अस्पताल; महिला चिकित्सालय; जनाना अस्पताल; जे.के.लॉन अस्पताल; वक्ष रोग अस्पताल; हरबक्ष कंवेटिया अस्पताल; जयपुरिना अस्पताल।

गया। भवन के पूर्ण होने के 40 माह पश्चात अस्पताल का संचालन प्रारम्भ हुआ (सितम्बर 2012)।

निधियों के उचित मूल्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से, जैसे आमंत्रित एक्सप्रेसन ऑफ इन्ट्रेस्ट (इओआई)/रिकवेस्ट फोर क्वालीफिकेशन (आरएफक्यू), आर एफ पी और साइनिंग ऑफ एग्रीमेन्ट आदि के संदर्भ में, औचित्य एवं पारदर्शिता के नियमों को जांचने के लिये प्रस्तावों के आमंत्रण, बोलियों के मूल्यांकन, एग्रीमेन्ट के क्रियान्वयन और अस्पताल के निष्पादन की प्रक्रिया की लेखा परीक्षा में संवीक्षा की गयी। लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग से 12 नवम्बर 2013 को हुये विचार विमर्श उपरान्त, आगे अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

2.4.2.2 अवास्तविक वित्तीय मानदण्डों को अपनाने के कारण औद्योगिक वित्तीय अनुपातों का कम आकलन और परिणामतः समय की हानि

वित्तीय पात्रता शर्तों का अनुबन्ध उद्योग के औसत मानकों से दूर था

फरवरी 2010 में जारी किये गये इओआई में वित्तीय पात्रता, 31 मार्च 2009 को न्यूनतम नेट वर्थ ₹ 30 करोड़ और पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों (2006-07 से 2008-09) में न्यूनतम एवरेज नेट कैश एक्जुअल ₹ 50 करोड़ या रिटर्न ऑन नेट वर्थ (आरओएनडब्ल्यू) लगभग 167 प्रतिशत (50/30×100) रखी गयी थी। सभी प्राप्त छः बोलियों (20 मार्च 2010), जिनमें वृहद अस्पताल जैसे मैसर्स एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली, मैसर्स मेक्स हेल्थ केयर इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली, सोनी हॉस्पिटल, जयपुर एवं ऑलकेमिस्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली सम्मिलित थी, इन कठोर आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकी और इसलिए निरस्त कर दी गयी।

वृहद अस्पतालों को चला रही अन्य दो प्रमुख पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज (फोर्टिस एंव अपोलो) के वित्तीय परिणामों की संवीक्षा दर्शाती है कि उनके आरओएनडब्ल्यू धूमि, भवनों और उपकरणों में भारी पूंजी निवेश के कारण केवल 5 से 11 प्रतिशत के मध्य विस्तारित थे। इसलिये इओआई में चाहे गये वित्तीय क्षमता के मानदण्ड, वास्तविक नहीं थे। जनवरी 2011 में जारी संशोधित आरएफपी आमंत्रण नोटिस में न्यूनतम नेट वर्थ ₹ 20 करोड़ और टर्नओवर ₹ 50 करोड़ कर, वित्तीय पात्रता और अधिक वास्तविक कर दी गयी।

इस प्रकार, वित्तीय पात्रता शर्तों का, उद्योग के औसत मानकों के नजदीक न होने के परिणामस्वरूप, बहुमूल्य 11 माह की हानि हुयी। इससे प्रतीत हुआ कि इओआई में रखी गयी वित्तीय पात्रता शर्तों का पीडीकोर द्वारा समुचित विश्लेषण नहीं किया गया, परिणामतः आरएफपी में संशोधन हुआ एवं बोलों को अन्तिम रूप दिये जाने में विलम्ब हुआ। यह सलाहकार की योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।

तथ्यों को स्वीकार करते हुये राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2013) कि इओआई की जांच/प्रक्रिया में विलम्ब को दुरस्त करते हुये सिंगल स्टेज बिडिंग रूट अपनाया गया, अर्थात् नवीन इओआई आमंत्रित किये बिना जनवरी 2011 में

आरएफपी दस्तावेज जारी कर दिये गये। आगे यह भी तर्क दिया (नवम्बर 2013) कि पीडीकोर के लिये स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र अपेक्षाकृत नया क्षेत्र था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इआआई में अवास्तविक वित्तीय शर्तों को सम्मिलित किया जाना, पीडीकोर द्वारा अधूरे विश्लेषण को इंगित करता था जिस वजह से परिवर्तित वित्तीय पात्रता शर्तों के साथ संशोधित नोटिस (जनवरी 2011) जारी करना पड़ा।

2.4.2.3 बोलियों के मूल्यांकन में कन्सेशन फी का हरेफरे

वित्तीय रूप से उच्च प्रस्तावों को निरस्त करना।

निजी जन सहभागिता (पीपीपी) के लिये व्यापक रूप से प्रचलित प्रथा के अनुरूप उपरोक्त आरएफपी दस्तावेज में अनुबन्धित था कि तकनीकी एवं वित्तीय मानकों की पूर्ति के अधीन, अन्तिम रूप से चयन, कन्सेशनेयर द्वारा उल्लेखित कन्सेशन फी के आधार पर किया जायेगा। बोलियों के मूल्यांकन के ऐसे मामलों में रेवेन्यू प्रोजेक्शन्स की नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (एनपीवी) की गणना एवं उल्लेखित की गयी फी सम्मिलित होती है। केन्द्रीय क्षेत्र में पीपीपी के लिये भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों (जनवरी 2006) के अनुसार 'रेवेन्यू स्टीम ऑफ दी प्रोजेक्ट (एनयुअल फ्लोअ ऑवर प्रोजेक्ट लाइफ)' और 12 प्रतिशत डिस्काउन्टिंग के साथ रेवेन्यू स्टीम एनपीवी को सम्मिलित करते हुये, पीपीपी एग्जल कमेटी को विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया जायेगा। राज्य सरकार ने भी मई 2012 में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये थे जो कि पूर्ण रूप से भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर आधारित थे।

आरएफपी दस्तावेज के संबंधित क्लॉज और बोली पूर्व सम्मेलन का आयोजन, बोलियों का मूल्यांकन एवं कन्सेशन/संविदा जारी करने के लिये सफल बोलीदाता के चयन के तरीके निम्नानुसार थे:

- आरएफपी दस्तावेज के क्लॉज 1.1 (बॉल्यूम IV ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेंट) में 'कन्सेशन फी' को इस एग्रीमेंट के उप क्लॉज 11.1 के प्रावधानों के अनुसार, परियोजना से उत्पन्न सकल राजस्व पर प्रतिशतता के आधार पर कन्सेशन ऑथोरिटी को कन्सेशनेयर द्वारा भुगतान करने योग्य फी वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने की तिथि से कन्सेशन अवधि समाप्त होने तक तिमाही क्रिशतों में कन्सेशन ऑथोरिटी को भुगतान की जाने वाले फी के रूप में परिभाषित किया गया है। इसी तरह, क्लॉज 11.1 में उल्लेखित है, कि वित्तीय प्रस्ताव में चयनित बोलीदाता द्वारा (आरएफपी दस्तावेज के बॉल्यूम-III के अपेन्डिक्स 13²⁸ के फॉर्मेट में विशिष्टतियों के अनुसार) उल्लेखित और कन्सेशन ऑथोरिटी द्वारा स्वीकृत, कन्सेशनेयर आंशिक वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने की तिथि से कन्सेशन अवधि समाप्त होने तक, इस परियोजना से उत्पन्न सकल राजस्व पर सहमत प्रतिशतता के बराबर भारतीय मुद्रा में प्रत्येक वित्तीय वर्ष, कन्सेशन ऑथोरिटी को कन्सेशन फी का भुगतान करेगा।

28. अपेन्डिक्स 13 (बॉल्यूम III) में वित्तीय प्रस्तावों के लिये फॉर्मेट निर्धारित किया गया है जिसमें प्रोजेक्ट के लिये वित्तीय प्लान की सूचनाओं के साथ रेवेन्यू एस्टीमेट्स और प्रोजेक्ट डेड एन्डूअल इन्कम स्टेटमेंट्स फ्रॉम इन रेवेन्यू सोर्स, प्रोजेक्ट डेड प्रॉफिट रून्ड लास स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट डेड कैश फ्लो स्टेटमेंट और प्रोजेक्ट डेड वेलेन्स शीट सम्मिलित है।

- आरएफपी दस्तावेज के वॉल्यूम-11 के क्लॉज 35.2 के अनुसार वित्तीय प्रस्तावों का क्रम इस वॉल्यूम के अपेन्डिक्स 13 में स्पेशिफाइड फॉर्मेट में बोलीदाता द्वारा उल्लेखित कन्सेशन फी (परियोजना से उत्पन्न सकल राजस्व की प्रतिशत और आंशिक वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने की तिथि से कन्सेशन अवधि समाप्त होने तक तिमाही किश्तों में ऑथोरिटी को भुगतान की जानी है) के आधार पर होगा। उच्चतम वार्षिक कन्सेशन फी उल्लेखित करने वाला बोलीदाता क्रम में उच्चतम बोली दाता (एच-1) होगा।

लेखा परीक्षा की संवीक्षा में देखा गया, कि, आरएफपी के उत्तर में केवल तीन बोलियों में, मेसर्स मेक्स हेल्थ केयर-इन्स्टीट्यूट लिमिटेड, नई दिल्ली (मेक्स) और मेसर्स एस्कॉर्ट हार्ट इन्स्टीट्यूट एन्ड रिसर्च सेन्टर लिमिटेड, नई दिल्ली (एस्कॉर्ट) से प्राप्त हुयी थी। तकनीकी और वित्तीय मानकों के आधार पर सभी तीनों को प्रोजेक्ट कमेटी द्वारा उपयुक्त पाया गया। प्रोजेक्ट कमेटी ने वित्तीय प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिये वॉल्यूम-11 के क्लॉज 35.2 के अनुरूप मानदण्ड पर विचार किया, किन्तु उपरोक्त क्लॉज में उल्लेखित अन्तिम वाक्य की उपेक्षा करते हुये मेट्रो की बोली को एच-1 मान लिया गया। उसके (मेट्रो) द्वारा सकल राजस्व पर 7.20 प्रतिशत का उल्लेख किये जाने के आधार पर प्रोजेक्ट कमेटी ने प्रस्तुतिकरण के लिये 26 अप्रैल 2011 को आमंत्रित (मेट्रो) करने का निश्चय किया। प्रोजेक्ट के सभी वित्तीय पहलुओं पर विचार करते हुये, वित्तीय प्रस्ताव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश पीडीकोर को दिये गये। प्रतिवेदन तैयार करते समय पीडीकोर ने भी उपरोक्त शर्त की उपेक्षा की। मूल्यांकन प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद, प्रोजेक्ट कमेटी ने मेट्रो को स्लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी करने का निश्चय किया (3 जून 2011)।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि आरएफपी के अनुसार वार्षिक कन्सेशन फी तीन चर तत्वों पर निर्भर थी जैसे सकल राजस्व पर प्रतिशतता, कुल सकल राजस्व और लीज की अवधि (जैसे 30 वर्ष)। सकल राजस्व, निजी सहभागी के निवेश किये जाने और दी जाने वाली सेवाओं की श्रेणी एवं विशेषताओं पर भी निर्भर करता है। जबकि ये सभी सूचनाव्य बोलीदाताओं से मांगी और प्राप्त की गयी थी, कमेटी द्वारा उनको अनदेखा किया गया। मूल्यांकन प्रतिवेदन में इनको 'अन्य सूचनाओं' के रूप में सम्मिलित किया गया था। निम्न चर तत्वों को वित्तीय प्रस्ताव मूल्यांकन प्रतिवेदन में शामिल किया गया लेकिन चयन करते समय उपेक्षा की गयी।

- मेट्रो द्वारा दर्शायी गई ₹ 30 करोड़ की राशि के विरुद्ध मैक्स द्वारा ₹ 60 करोड़ और एस्कॉर्ट्स द्वारा ₹ 36.38 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया गया था।

- मेट्रो के साथ किए गये एग्रीमेंट के अनुसार, 30 वर्ष के लिए अनुमानित सकल राजस्व ₹ 1551.52 करोड़ था और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 7.20 प्रतिशत की दर से ₹ 111.66 करोड़ थी। इसकी तुलना में, मैक्स द्वारा ₹ 16638.21 करोड़ एवं एस्कॉर्ट्स द्वारा ₹ 3334.49 करोड़ सकल

राजस्व के अनुमान प्रस्तुत किए गये थे। इस प्रकार कम प्रतिशतता²⁹ होने के बावजूद राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी मैक्स और एस्कोर्टस से क्रमशः ₹ 332.26 करोड़ एवं ₹ 144.05 करोड़ बनती थी। यह दर्शाता है कि मैक्स एवं एस्कोर्टस द्वारा उल्लेखित कन्सेशन फी, समिति द्वारा मैट्रो के लिए स्वीकार की गई राशि से ₹ 220 करोड़ एवं ₹ 33 करोड़ अधिक थी।

इस प्रकार, बोलियों में प्रस्तुत अन्य जानकारी की उपेक्षा करने एवं संवर्धित प्रावधान के विचलन किये जाने की वजह से मैक्स और एस्कोर्टस के वित्तीय रूप से उच्च प्रस्ताव निरस्त हुए, जो न केवल उच्च पूंजी निवेश प्रदान कराते बल्कि राज्य सरकार को अधिक राजस्व भी देते।

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2013) कि बोलियों का मूल्यांकन करते समय, आरएफपी दस्तावेज के किसी क्लॉज को आंशिक रूप से या पूरी तरह से हटाया गया हो या अनदेखी की गई हो, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। तर्क दिया गया कि बोलीदाताओं द्वारा दिया गया सकल राजस्व अनुमानित है एवं सुनिश्चित लाभ नहीं है और यह कन्सेशन फी तय करने के लिए आधार नहीं बन सकता है। इसके अलावा पूंजी निवेश मरीजों की जरूरतों के अनुसार किया जाना था। आगे स्पष्ट किया गया (नवम्बर 2013) कि क्लॉज 35.2 के पहले पैरा के अनुसार 'बोलीदाता द्वारा उल्लेखित कन्सेशन फी (परियोजना से उत्पन्न सकल राजस्व का प्रतिशत) के आधार पर वित्तीय प्रस्तावों को रैंक किया जायेगा'। जब इसे एक बार मापदण्ड मान लिया गया है तो द्वितीय भाग जो कि पहले भाग के साथ ही पढ़ा जाता है अन्य किसी मापदण्ड को नहीं दर्शाता है।

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि, आरएफपी दस्तावेज के वोल्यूम III के क्लॉज 35.2 के तहत रैंकिंग के लिए शर्त, 'उच्चतम वार्षिक कन्सेशन फी वाला बोलीदाता एच-1 होगा का बोलियों का मूल्यांकन करते समय अनदेखी नहीं को जा सकती, क्योंकि बोलीदाता के चयन के लिए क्लॉज 35.2 के सम्पूर्ण टैक्स्ट पर विचार करना चाहिए था। सबसे अधिक बोली लगाने वाले, जो उच्चतम वार्षिक कन्सेशन फी देगा, के चयन की प्रक्रिया को क्लॉज 35.6, 35.7 और 35.8 में विस्तार से समझाया गया है। प्रोजेक्ट कमेटी द्वारा ग्री क्वालिफाइड बोलीदाताओं से उनके वित्तीय प्रस्तावों में प्रस्तावित राजस्व की ली गई प्रतिबद्धताओं (अप्रैल 2011) के संदर्भ में यह कहना सही नहीं था कि सकल राजस्व अनुमान जो बोलीदाताओं द्वारा दिए गये थे, कन्सेशन फी तय करने के लिए आधार नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा यह तर्क दिया जाना कि पूंजी निवेश मरीजों की जरूरतों के अनुसार होना था, सही नहीं था क्योंकि मरीजों को उपलब्ध सुविधायें, कन्सेशनेयर द्वारा किये गये निवेश से सीधा सम्बन्ध रखती है।

29. मैक्स: सकल राजस्व पर एक प्रतिशत प्रथम वर्ष में और दो प्रतिशत दूसरे वर्ष एवं आगे, तथा एस्कोर्टस: 4.32 प्रतिशत सकल राजस्व पर।

हस्ताक्षरित एग्रीमेंट में अनुमानित सकल राजस्व और कन्सेशन फी को मनमाने तरीके से कम करना

2.4.2.4 कन्सेशन एग्रीमेंट के प्रोजेक्टर्ड प्रोफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में हेरफेर करना

कमेटी द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने से पूर्व वित्तीय प्रस्तावों के खुलने के बाद 26 अप्रैल, 2011 को दिये गये प्रस्तुतीकरण में मेट्रो ने 30 वर्ष के लिए ₹ 5,580.90 करोड़ का सकल राजस्व एवं ₹ 401.82 करोड़ की कन्सेशन फी अनुमानित की। इसे 27 अप्रैल 2011 को प्रस्तुत परिशिष्ट 13 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप प्रोजेक्टर्ड प्रोफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में भी शामिल किया गया था। ये आंकड़े वित्तीय प्रस्ताव मूल्यांकन प्रतिवेदन (4 मई 2011) में भी परिलक्षित किए गये एवं 3 जून 2011 को प्रोजेक्ट कमेटी द्वारा स्वीकार किए गये थे। अंतिम मूल्यांकन में निष्कर्ष निकाला गया कि मेट्रो का प्रस्ताव उच्चतर सकल राजस्व के साथ ही उच्चतर कन्सेशन फी देगा। तथापि, एग्रीमेंट के साथ संलग्न किये गये प्रोजेक्टर्ड प्रोफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में 30 वर्ष के लिये सकल राजस्व एवं कन्सेशन फी के अनुमान क्रमशः ₹ 1,551.52 करोड़ एवं ₹ 111.66 करोड़ दर्शाये गये थे।

मूल्यांकन में उच्चतर अनुमान इस्तेमाल करने के बाद हस्ताक्षरित एग्रीमेंट में अनुमानित सकल राजस्व और कन्सेशन फी को मनमाने तरीके से क्रमशः ₹ 4029.38 करोड़ और ₹ 290.16 करोड़ से कम कर दिया गया। वस्तुतः, मूल्यांकन प्रतिवेदन में अनुमानित ₹ 5580.90 करोड़, 10 प्रतिशत कम्पाउन्ड एन्युअल ग्रोथ रेट (सीएजीआर) की अवधारणा पर आधारित थे जो कि सम्बन्धित अवधि के दौरान हेल्थ कैंसर सेक्टर के प्रदर्शन (13 से 21 प्रतिशत सीएजीआर) की तुलना में कम थे। इस अवधि के दौरान अनुमानित औसत सीएजीआर 15 प्रतिशत, जोकि 30 वर्ष के लिए चथोचित रेवेन्यू फ्लो है, एग्रीमेंट में ली गई राशि (1551.52 करोड़ रुपये) का नौ गुणा (₹ 13820 करोड़) हो जाता है। इस प्रकार, एग्रीमेंट में प्रोजेक्टर्ड प्रोफिटेबिलिटी स्टेटमेंट के आंकड़ों में हेरफेर के परिणामस्वरूप ₹ 290.16 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2013) कि कन्सेशन फी वास्तविक आधार पर सकल राजस्व की 7.2 प्रतिशत प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की गई थी। इसलिए अनुमान/मान में दर्शाये गये वित्तीय प्रदर्शन, केवल अनुपूरक जानकारी थी और इससे सरकार के हित प्रभावित नहीं होते हैं। आरएफपी के प्रावधानों के अनुसार ये अनुमान/मान प्रोजेक्ट अवार्ड के लिए एकमात्र मापदण्ड नहीं थे। इसे आगे (नवम्बर 2013) स्पष्ट किया गया कि कोई भी बोलीदाता अनुमानित राजस्व के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मात्र अनुमानों को गणना में नहीं लिया गया।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रोजेक्ट कमेटी ने अपनी बैठक में (अप्रैल 2011) वित्तीय प्रस्ताव खोलने से पहले, प्री-क्वालीफाइड बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों से पूछा था कि क्या वे वित्तीय प्रस्तावों में उल्लेखित प्रतिशत राजस्व के अनुसार अपने राजस्व और राज्य सरकार की राजस्व हिस्सेदारी को देने का वादा करने के इच्छुक हैं। तीन बोलीदाताओं में से मैक्स ने अपने बिजनेस प्लान में दिखाये गये, रेवेन्यू टर्नओवर हासिल नहीं होने की दशा में भी चाही गयी प्रतिबद्धता को पूरा करने की इच्छा जताई थी। इसके अतिरिक्त, इन वित्तीय अनुमानों/मानों को वित्तीय प्रस्ताव मूल्यांकन प्रतिवेदन (4 मई 2011) में भी सम्मिलित किया गया था। इसलिए, यह कहना सही

नहीं है कि वित्तीय निष्पादन के अनुमान/मान सरकार के हित प्रभावित नहीं करते क्योंकि रेकिंग के लिये अनुमानित राजस्व के आधार पर बोलियों के मूल्यांकन एवं तुलना के लिये इनकी गणना की गयी थी। यदि मामले में ये अनुमान/मान प्रोजेक्ट अवार्ड करने का एक मात्र मापदण्ड नहीं थे, तो आरएफपी में इन प्रावधानों को रखने की आवश्यकता को स्पष्ट किया जाना चाहिये था। इसके अतिरिक्त, प्रोजेक्टेड प्रोफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में हेरफेर के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

2.4.2.5 कन्सेशनेयर पर राजस्व अनुमानों की बाध्यता लागू न किये जाने से सरकारी राजस्व संरक्षण में विफलता

राजकीय राजस्व के संरक्षण के लिए एग्रीमेंट में किसी क्लॉज का प्रावधान नहीं रखना

जैसा कि उपरोक्त पैरा में बताया गया है, उच्चतम बोलीदाता (एच-1) के रूप में कन्सेशनेयर का चयन 30 वर्षों के लिए अनुमानित वार्षिक आय और कन्सेशन फी के आधार पर किया गया था। राजस्व अनुमानों और सर्विस डिलीवरी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किए जाने के मामलों में कन्सेशनेयर को दण्डित करने के लिए एग्रीमेंट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। मेट्रो के साथ किए गये एग्रीमेंट के अनुसार पहले वर्ष के लिए फी, ₹ 2.29 करोड़ अनुमानित थी। इसके विरुद्ध कन्सेशनेयर द्वारा अवधि सितम्बर 2012 से मार्च 2013 तक सात माह के लिए प्रक्षेपित कन्सेशन फी ₹ 1.34 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹ 0.16 करोड़ ही जमा कराये गये। एग्रीमेंट में कोई क्लॉज न होने के कारण, राज्य सरकार के पास राजस्व के संरक्षण और बुनियादी सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु कोई उपाय नहीं था।

राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया (अक्टूबर 2013) कि राजस्व प्रक्षेपों की कन्सेशनेयर पर कोई बाध्यता नहीं थी क्योंकि ऐसे प्रावधान लागू करने से आमजनों को उचित कीमत पर उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल) के रोगियों के लिये लागू सुविधाये प्रदान करने के उद्देश्य विफल होते। आगे, विचलन के मामले में कन्सेशनेयर पर लागू दण्ड के प्रावधान पर्याप्त रूप से एग्रीमेंट के वोल्यूम IV की V1 अनुसूची में दिए गये हैं।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राज्य सरकार के राजस्व हिस्सेदारी की शर्त कन्सेशन एग्रीमेंट में सम्मिलित की गई थी एवं आवश्यक रूप से यह आम लोगों को उचित कीमत पर उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की शर्त के विपरीत नहीं था। अनुसूची-V1 के तहत विचलन के मामले में कन्सेशन एग्रीमेंट की अनुसूची 1 के पैरा 4 'सामाजिक दायित्वों और हकों' के तहत प्रतिपादित सर्विस डिलीवरी लक्ष्यों की अनुपलब्धि के मामले में कन्सेशनेयर पर लागू दण्ड भी उगाही योग्य नहीं है।

2.4.2.6 सवाई मानसिंह अस्पताल पर दवाब कम करने और बी.पी.एल परिवारों के इलाज के उद्देश्य की पूर्ति का अभाव।

सवाई मान सिंह अस्पताल के दवाब पर कोई कमी नहीं

इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत करने का प्राथमिक उद्देश्य सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल, जयपुर के दवाब को कम करने का था। चिकित्सा शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार एमएमएस अस्पताल का बाह्य रोगी

विभाग (ओपीडी) लगभग 5,000 रोगियों और अन्तःरोगी विभाग (आईपीडी) 429 रोगियों का प्रतिदिन उपचार करता है। बीमारियों के मौसम में यह संख्या 10,000 तक हो जाती है।

वाणिज्यिक परिचालन के प्रथम 13 महीनों में (सितम्बर 2012 से सितम्बर 2013), मैसर्स मेट्रो मास हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड³⁰ ने प्रतिदिन केवल 75 ओपीडी एवं 7 आईपीडी रोगियों का ही उपचार किया। स्पष्टतया एसएमएस अस्पताल पर दबाव में कोई कमी नहीं आई है।

कन्सेशन एग्रीमेंट के सब क्लॉज 2.1.4 (बी) के सन्दर्भ में, कन्सेशनेयर को यह सुनिश्चित करना था कि कम से कम 20 प्रतिशत रोगी बीपीएल परिवारों से हों जबकि असफल होने पर उसे बीपीएल के अप्रयुक्त कोटे के लिये प्रति बीपीएल रोगी एन्व्यूअल एवरेज रेवेन्यू की दर से राज्य सरकार को भुगतान करना था।

कन्सेशनिंग ऑथोरिटी को कन्सेशनेयर द्वारा प्रस्तुत सांख्यिकीय रिपोर्ट की लेखा परीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि मैसर्स मेट्रो मास हॉस्पिटल द्वारा सितम्बर 2012 से सितम्बर 2013 के दौरान उपचारित 29,277 ओपीडी रोगियों में से केवल 573 रोगी (1.95 प्रतिशत) बीपीएल परिवारों से थे। इसी तरह दिसम्बर 2012 से सितम्बर 2013 के दौरान उपचारित 2,237 आईपीडी रोगियों में से केवल 52 रोगियों (2.32 प्रतिशत) का इलाज किया गया और सितम्बर, 2012 से मार्च 2013 के दौरान 13,748 में से 204 (1.48 प्रतिशत) की निदान/जांच की गई।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2013) कि कन्सेशन एग्रीमेंट के अनुसार कन्सेशनेयर बीपीएल रोगियों के अप्रयुक्त कोटे के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा सूचित किया (नवम्बर 2013) गया कि ओपीडी और आईपीडी मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है।

जबकि स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि कन्सेशन एग्रीमेंट का उद्देश्य, बीपीएल मरीजों और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य अलाभकारी वर्ग के मरीजों के लिए विशेष देखभाल प्रदान करना था। आगे, अप्रयुक्त कोटे के लिए एक अल्प राशि के भुगतान पर सामान्य श्रेणी के रोगियों को वरीयता देकर रोगियों की ऐसी श्रेणी से बचने की गुंजाइश हमेशा रहती है। साथ ही, ओपीडी और आईपीडी के मरीजों की संख्या में वृद्धि समुचित नहीं थी जैसाकि ऊपर दिखाया गया है।

2.4.2.7 प्रोजेक्ट साइट लीज डीड का पंजीकरण कराये बिना कन्सेशनेयर को सम्पत्ति के अधिकार सौंप देना

बिना पंजीकरण के चल एवं अचल सम्पत्ति को कन्सेशनेयर को सौंपना

कन्सेशन एग्रीमेंट के क्लॉज 4.1.3 के अनुसार कन्सेशनिंग ऑथोरिटी द्वारा कन्सेशनेयर को एक वैध और बाध्यकारी प्रोजेक्ट साइट लीज डीड के अन्तर्गत

30. मेट्रो द्वारा संचालित अस्पताल का पंजीकृत नाम (10 जून, 2011)

अनुपालन की तारीख से या उससे पहले 'जहां है जैसी है' के आधार पर सभी चल एवं अचल सम्पत्ति सहित प्रोजेक्ट साइट लीज पर कन्सेशन के सह समाप्त अवधि के लिये दी जायेगी। प्रोजेक्ट साइट लीज डीड को विधिवत जल्द से जल्द कन्सेशनेयर की लागत पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पंजीकृत कराया जायेगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि ₹ 147.27 करोड़ के मूल्य की 15,028 वर्गमीटर भूमि एवं बिल्डिंग (जिला स्तरीय समिति की दर ₹ 80,366 प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि, कीमत ₹ 120.77 करोड़ और बिल्डिंग, कीमत ₹ 26.50 करोड़ (मई 2012)) सहित प्रोजेक्ट साइट, प्रोजेक्ट साइट लीज डीड को कन्सेशनेयर की लागत पर वैध और बाध्यकारी पंजीकरण कराये बिना, कन्सेशनेयर को सौंप दी। कन्सेशन एग्रीमेंट के प्रावधानों के विपरीत कन्सेशनेयर द्वारा सितम्बर 2012 से आंशिक वाणिज्यिक संचालन भी शुरू कर दिया गया।

राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया गया (अक्टूबर 2013) कि कन्सेशन एग्रीमेंट में (वोल्यूम IV का क्लॉज 3.3) दी गई शर्त की पूर्ति के बाद ही प्रोजेक्ट साइट कन्सेशनेयर को सौंपी गयी थी। तथापि, कन्सेशनेयर ने स्टाम्प ड्यूटी/पंजीयन शुल्क की छूट/माफी के लिए विभिन्न अधिकारियों को आवेदन प्रस्तुत किए हैं। आगे सूचित किया (नवम्बर 2013) कि प्रकरण वित्त विभाग में निर्णय हेतु लम्बित है।

जवाब स्वीकार योग्य नहीं था, क्योंकि सब क्लॉज 3.2.1 (ए) और (बी) के तहत कन्सेशनिंग ऑथोरिटी को प्रोजेक्ट साइट लीज डीड का निष्पादन कराया जाना आवश्यक था और क्लॉज 4.1.3 के अनुसार ऐसी प्रोजेक्ट साइट लीज डीड के निष्पादित होने के पश्चात ही प्रोजेक्ट साइट को सौंपी जा सकती थी।

2.4.2.8 सरकार के स्तर पर कन्सेशन एग्रीमेंट के क्रियान्वयन में विलम्ब

कन्सेशन एग्रीमेंट के क्रियान्वयन में विलम्ब

प्राचार्य, एसएमएस मेडिकल कालेज, जयपुर द्वारा मेट्रो को जारी लैटर ऑफ अवार्ड (एलओए) के अनुसार, अवार्ड जारी होने की दिनांक से (9 जून 2011) 15 दिनों के अन्दर कन्सेशन एग्रीमेंट निष्पादित किया जाना था।

तथापि, कन्सेशन एग्रीमेंट, राज्य सरकार द्वारा 181 दिनों के पश्चात 7 दिसम्बर 2011 को निष्पादित किया गया।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2013) कि सरकार के विभिन्न विभाग/स्तरों पर जांच/समीक्षा के कारण कन्सेशन एग्रीमेंट के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ।

जवाब स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि जांच किया हुआ कन्सेशन एग्रीमेंट का मसौदा इस शर्त के साथ आरएफपी दस्तावेज में शामिल किया गया था कि लैटर ऑफ अवार्ड जारी होने की दिनांक से 15 दिनों के भीतर एग्रीमेंट निष्पादित किया जा सके।

इस प्रकार, एच-1 बिड तय करने के लिए महत्वपूर्ण शर्त को हटाकर निविदा मूल्यांकन और एग्रीमेंट में हेरफेर करने, मेक्स व एस्कोर्ट्स के वित्तीय रूप से उच्च प्रस्तावों को निरस्त करने, राजस्व अनुमानों और सर्विस डिलीवरी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने पर कन्सेशनेयर को दंडित करने के प्रावधानों का अभाव और प्रोजेक्ट साइट लीज डीड का पंजीकरण कराये बिना अनियमित रूप से सम्पत्ति कन्सेशनेयर को सौंपने से प्रतीत होता है कि कन्सेशनेयर को अनुचित रूप से अनुगृहीत किया गया जिससे ₹ 290.16 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग

2.4.3 उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लॉक स्तर पर मॉडल स्कूलों की स्थापना

2.4.3.1 प्रस्तावना

मानव संसाध विकास मंत्रालय (मासंविमं), भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2008 में उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6,000 मॉडल स्कूलों की स्थापना हेतु एक केन्द्र प्रवर्तित योजना लागू की गई थी। योजना का उद्देश्य इकोनोमिकली बैकवर्ड ब्लॉक (ईबीबी) में केन्द्रीय विद्यालयों (के.वि.) की तर्ज पर, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े प्रत्येक ईबीबी में एक मॉडल स्कूल की स्थापना कर, ग्रामीण कुशाग्र विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना था। योजना का वित्तपोषण केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 75:25 एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 50:50 के अनुपात में किया जाना था।

राजस्थान में मॉडल स्कूलों की स्थापना हेतु मासंविमं द्वारा, वर्ष 2007-08 में 186 ईबीबी का चयन किया गया था, एवं तीन चरणों में 160 स्कूल (जुलाई 2010 में 91, दिसम्बर 2010 में 43 व सितम्बर 2012 में 26) खोलने की अनुमति दी गई थी।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद (रामाशिप)³¹, जयपुर एक पंजीकृत संस्था है जो कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के समकक्ष प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग की अध्यक्षता वाली एक स्वतन्त्र ईकाई है एवं इस योजना का क्रियान्वयन करने व ईबीबी में मॉडल स्कूल की स्थापना करने हेतु उत्तरदायी है।

2.4.3.2 योजना का क्रियान्वयन

जून से अगस्त 2013 के दौरान रामाशिप जयपुर के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि मात्र 71 स्कूलों³² का निर्माण कार्य शुरू किया गया था एवं

31. राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एन्ट 1958 (फरवरी, 2009) के अन्तर्गत पंजीकृत।

32. स्कूल पूर्ण किन्तु अधिग्रहित नहीं किये गये: 7, नीव स्तर तक निर्माण: 5, फिर्त स्तर:

13, छत स्तर: 22 एवं फिनिशिंग स्तर: 24 ।

मात्र 7 ही पूर्ण हुये थे किन्तु इनका कब्जा नहीं लिया गया था। मई 2013 तक शेष 64 स्कूलों का निर्माण विभिन्न स्तर पर था।

राज्य सरकार द्वारा मासिकों को प्रस्तुत समय सारणी के अनुसार निर्माण कार्य, निर्माण पूर्व कार्य, सर्वेक्षण एवं निविदा प्रक्रिया सहित, 11 माह में पूर्ण करना था एवं शैक्षणिक सत्र 2011-12 से स्कूल प्रारम्भ हो जाने चाहिये थे। योजना के क्रियान्वयन एवं समापन में पाई गई कमियों को नीचे उल्लेखित किया गया है:

भूमि अधिग्रहण में देरी

रा.मा.शि.प. द्वारा मॉडल स्कूलों के लिये 31 ब्लॉकों में भूमि एक से तीन वर्ष तक के विलम्ब से अधिग्रहित की गई

योजना के दिशा निर्देशों (दिशा निर्देशों) के पैरा 4.3 के अनुसार स्कूलों के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा चयनित की जाकर निःशुल्क उपलब्ध कराया जानी थी।

रामाशिप के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि परियोजना अनुमोदन मण्डल (पअमं) द्वारा (जुलाई 2010) 91 ब्लॉक में स्कूल स्वीकृत किये गये थे। तथापि, मॉडल स्कूलों के निर्माण हेतु रामाशिप के पास उपलब्ध भूमि की स्थिति निम्नानुसार थी:

मॉडल स्कूलों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति

अधिग्रहण का वर्ष	वर्ष के दौरान चयनित स्थानों की संख्या	2012 के दौरान स्थान परिवर्तन
प्रथम चरण की स्वीकृति से पूर्व		
2009	49	4
2010	10	-
योग	59	4
प्रथम चरण की स्वीकृति के बाद		
2010	2	-
2011	14	9
2012	13	11
2013	2	-
योग	31	20
अभी तक भूमि अधिग्रहण शेष(नागौर)		
	1	
महायोग	91	24

स्त्रोत: रा.मा.शि.प. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अनुसार

सारणी दर्शाती है कि प्रथम चरण के प्रस्ताव के अनुमोदन के समय (जुलाई 2010) रामाशिप के अधीन 59 ब्लॉक में ही भूमि उपलब्ध थी। इस प्रकार, रामाशिप द्वारा 32 ब्लॉक में भूमि का स्पष्ट कब्जा नहीं होते हुए भी 91 स्कूलों के प्रस्ताव का अनुमोदन (प्रथम चरण) प्राप्त कर लिया गया।

प्रस्तावों के अनुमोदन के बाद 31 ब्लॉकों में भूमि अधिग्रहण हेतु एक से तीन वर्षों (2010-13) का समय लिया गया जबकि 1 ब्लॉक (नागौर) में भूमि अधिग्रहण अभी भी किया जाना है।

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (नवम्बर 2013) कि दिशा निर्देशों के अनुसार मॉडल स्कूलों हेतु भूमि का आवंटन निशुल्क किया जाना था। तदनुसार, जिला कलक्टर द्वारा आवंटित भूमि के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये थे।

तथापि, तथ्य यह रहा कि भारत सरकार को 32 ब्लॉकों के प्रस्ताव, भूमि अधिग्रहण किये बिना प्रस्तुत किये गये, अन्ततः इन ब्लॉकों में स्कूलों को स्थापना देरी से हुई।

स्कूलों के स्थानों में परिवर्तन

मॉडल स्कूलों के लिए भूमि आवंटन बिना उपयुक्त योजना, सर्वे एवं संभाव्यता अध्ययन के किया गया

रामाशिप द्वारा राज्य स्तरीय निरीक्षण दलों से स्कूलों के निर्माण हेतु सभी भूमियों का संभाव्यता अध्ययन कराया गया था। उनकी रिपोर्ट के आधार पर, कार्यकारिणी समिति, रामाशिप द्वारा 24 स्कूलों की भूमि के स्थान परिवर्तन की अनुशंसा की गई (जनवरी 2012), क्योंकि जिला कलक्टर द्वारा स्कूलों के लिए आवंटित भूमि, छात्रावास, चिकित्सा व पीने के पानी की सुविधा का प्रावधान नहीं होने के कारण, उपयुक्त नहीं पायी गई। रामाशिप द्वारा मासंविमं को इस प्रयोजन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये (जनवरी 2013), जिसका अनुमोदन प्रतीक्षित था (अगस्त 2013)।

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (नवम्बर 2013) कि प्रारम्भ में, जब 91 ब्लॉक में स्कूलों के लिए भूमि का चयन किया गया था तब भारत सरकार द्वारा इस प्रकार के दिशा निर्देश प्रदान नहीं किये गये थे कि उक्त भूमि ब्लॉक मुख्यालय से 5 किमी की परिधि में होनी चाहिये, अतः जिला कलक्टर द्वारा जहाँ भी भूमि उपलब्ध थी वहाँ आवंटित की गई। इन स्थानों की पुनः समीक्षा में पाया गया कि इन स्कूलों का सफल संचालन व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं था, अतः निर्माण धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु 24 स्कूलों के भूमि स्थलों के परिवर्तन का निर्णय लिया गया।

प्रत्युत्तर सही नहीं था, क्योंकि भूमि स्थलों का चयन बिना उपयुक्त योजना, सर्वे एवं संभाव्यता प्रतिवेदन के आधार पर किया गया।

कार्यकारी अभिकरण के चयन में विलम्ब

पञ्चम, मासंविमं द्वारा प्रथम चरण में 91 मॉडल स्कूलों के निर्माण का अनुमोदन (जुलाई 2010) किया गया था। रामाशिप द्वारा मॉडल स्कूलों के निर्माण/डिजाइन के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार विमर्श किया गया (सितम्बर 2010) एवं निर्माण का कार्य किसी बाहरी एजेंसी जैसे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग (सानिबि) या राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम (रारासविनि) से कराये जाने का विचार किया गया (फरवरी 2011)। आगे, राज्य सरकार द्वारा (अप्रैल 2011) पाया गया कि

रामाशिवि को सौंपे गये अन्य कार्यों के सम्बन्ध में निष्पादन, संतोषप्रद नहीं था। सरकार द्वारा यह भी पाया गया कि यह कार्य परिषद द्वारा कराया जाना सम्भव नहीं था क्योंकि इसके पास अलग से क्षेत्रीय अभियन्ता नहीं थे एवं इसकी तकनीकी शाखा पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं थी। अंततः रामाशिवि द्वारा सानिवि को कार्य सौंपने का निर्णय (जुलाई 2011) लिया गया।

राज्य सरकार द्वारा तथ्य स्वीकार करते हुए सूचित किया गया (नवम्बर 2013) कि अनुभवी अभियन्ताओं की अनुपलब्धता होने एवं बहुत अधिक निर्माण लागत होने के कारण यह कार्य सानिवि से कराये जाने का निर्णय लिया गया था। तथ्य यह रहा कि सरकार द्वारा अभिकरण के चयन में ही 12 माह लिये गये, जिसके परिणामस्वरूप स्कूलों के निर्माण में विलम्ब हुआ।

स्कूलों के लिए निर्धारित मानक मापदण्डों का अनुसरण नहीं किया जाना

मॉडल स्कूलों के निर्माण में मा.स.वि.म. के दिशा निर्देशों व शर्तों की पालना नहीं की गई।

दिशा निर्देशों का पैरा 3 निर्दिष्ट करता है कि मॉडल स्कूलों में केवि के समान स्तर की सुविधाएँ एवं बुनियादी ढांचा होना चाहिये था। मार्सविम द्वारा अनुमोदित (जुलाई 2010) भवन योजना के अनुसार मॉडल स्कूल में, सोलह कक्षा कक्ष, दो कम्प्यूटर कक्ष, चार प्रयोगशाला, एक पुस्तकालय, एक कार्यालय कक्ष, एक प्रधानाध्यापक कक्ष, एक उप प्रधानाध्यापक कक्ष एवं ग्यारह अन्य कक्षों³³ का निर्माण किया जाना था।

अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि रामाशिवि को अपनी बैठक (24 जनवरी 2013) में ज्ञात हुआ कि सानिवि द्वारा प्रस्तुत विस्तृत अनुमानों में प्रस्तावित क्षेत्र 22,287 वर्गफीट के स्थान पर लगभग 15,000 वर्गफीट प्रति स्कूल का निर्माण किया जा रहा था। तथापि, रामाशिवि द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। पाँच ब्लॉकों के संयुक्त निरोक्षण में (10 जुलाई 2013 से 22 जुलाई 2013) लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि तीन ब्लॉकों³⁴ में सिर्फ 10 कक्षा कक्षों का और दो ब्लॉकों³⁵ में सिर्फ 6 कक्षा कक्षों का निर्माण किया जा रहा था। दिशा निर्देशों में निर्दिष्ट कम्प्यूटर कक्षों, पुस्तकालय एवं 7 अन्य कक्षों³⁶ का किसी भी स्कूल में निर्माण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, किसी भी स्कूल में खेल मैदान, गार्डन, ऑडीटोरियम आदि का प्रावधान नहीं था। रामाशिवि द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण (अगस्त 2013) अन्य स्कूलों की स्थिति का आंकलन नहीं किया जा सका।

33. संसाधन कक्ष, गतिविधि कक्ष, कला कक्ष, एम.यू.पी.डब्ल्यू./कार्यशाला, चिकित्सा कक्ष, परीक्षा कक्ष, स्टॉफ कक्ष, एन.सी.सी. कक्ष, सामान्य स्टोर, काउन्टर कक्ष एवं पी.ई.टी. कक्ष।

34. जुगलपुर (निवाई ब्लॉक), टोडारायासिंह (टोडारायासिंह ब्लॉक, टोंक जिला), डोडवान (लालसोट ब्लॉक, दौसा जिला)।

35. खेरिया खुर्द (दौसा ब्लॉक, दौसा-जिला), पोटल (स्हाड़ा ब्लॉक, भीलवाड़ा जिला)।

36. संसाधन कक्ष, गतिविधि कक्ष, कला कक्ष, एम.यू.पी.डब्ल्यू./कार्यशाला, एन.सी.सी. कक्ष, काउन्टर कक्ष एवं पी.ई.टी. कक्ष।

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (नवम्बर 2013) कि स्वीकृति दरों व निविदा दरों में अन्तर होने के कारण, सानिवि द्वारा ₹ 2.80 करोड़ को सीमा तक छोटे क्षेत्रफल में निर्माण कार्य किया जा रहा था। शेष निर्माण निर्धारित मापदण्डों के अनुसार इकाई लागत में संशोधन के बाद राशि उपलब्ध होने पर किया जायेगा, जिसके लिए प्रकरण भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। यह पुष्टि करता है कि केवि के समकक्ष मापदण्डों की पालना नहीं की गई, जिससे योजना के उद्देश्य की पूर्ण अवहेलना हुयी। आगे, सानिवि द्वारा अनुमानित इकाई लागत ₹ 1256 प्रति वर्गफुट के विपरीत इकाई लागत ₹ 1,867 प्रति वर्गफुट चाही गयी थी, जो 49 प्रतिशत अधिक थी और ये प्रचलित निर्माण लागत को नहीं दर्शाती।

मॉडल स्कूलों का अधिक दूरी पर स्थापित होना

मॉडल स्कूलें
ब्लॉक मुख्यालय से
75 कि.मी. की
दूरी तक स्थित थे।

राज्य सरकार के दूसरे चरण के प्रस्तावों पर विचार करते समय पअम द्वारा यह पाया गया (दिसम्बर 2010) कि ब्लॉक मुख्यालय से 25-30 किलोमीटर (किमी) पर स्थित स्कूलों के विद्यार्थियों को ब्लॉक के सभी क्षेत्रों से स्कूल आने में कठिनाई होगी, इसलिये वही स्कूल अनुमोदित किये गये जो ब्लॉक मुख्यालय से 5 किमी की परिधि में थे। इसका तात्पर्य है कि मॉडल स्कूलों के लिए स्थान चयन के समय रामाशिप द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिये था।

अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 23 ब्लॉकों में स्कूल, ब्लॉक मुख्यालय से 6 से 75 किमी की दूरी पर स्थित थे।

राज्य सरकार द्वारा तर्क दिया गया कि (नवम्बर 2013) पअम द्वारा दिसम्बर 2010 में प्रथम बार ब्लॉक मुख्यालय से दूरी का मापदण्ड उल्लेखित किया गया था। पअम ने प्रथम चरण के अनुमोदन के समय इस तरह के कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये।

तर्क स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि पअम की टिप्पणी के बाद भी रामाशिप ने यह मापदण्ड नौ³⁷ प्रकरणों में, जहाँ भूमि का चयन दिसम्बर 2010 के बाद किया गया था, नहीं अपनाया।

2.4.3.3 वित्तीय प्रबन्ध

दिशा निर्देशों के पैरा 11.1 एवं 11.2 के अन्तर्गत, केंद्रीयांश मासॉविमं द्वारा एवं राज्यांश सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग द्वारा सीधे ही परियोजना निदेशक, रामाशिप, जयपुर को जारी किया जाना था। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निधियाँ जारी करने की स्वीकृति आदेशों में, मॉडल स्कूल के निर्माण लागत का 2.5 प्रतिशत व्यय प्रबन्ध, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान (प्रअमूअ) पर चाहा गया था।

37. बालोतरा, बाड़मेर, डूंगरपुर, हुरडा, किशनगढ़ ताम, महुवा, मनोहर थाना, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर

रामाशिप द्वारा भारत सरकार व राज्य सरकार से प्राप्त राशि एवं उसके विपरीत किये गये व्यय की स्थिति निम्नानुसार दर्शाई गई है:

योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि एवं किये गये व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

चरण	वर्ष	भारत सरकार द्वारा जारी राशि	राज्य सरकार द्वारा जारी राशि	भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कुल राशि			सा.नि. वि. को जारी राशि	कुल किया गया व्यय
				निर्माण लागत	प्र.अ. मु.अ.	योग		
प्रथम चरण	2010-11	32.65	10.88	42.46	1.07	43.53	शून्य	
	2011-12	59.06	19.69	78.83	1.92	78.75	91.84	
	2012-13						39.20	110.61
योग		91.71	30.57	119.29	2.99	122.28		
द्वितीय चरण	2011-12	49.92	8.21	58.71	1.12	58.13		
	2012-13	शून्य	8.43	8.23	0.20	8.43		
	योग	49.92	16.64	64.94	1.62	66.56		
महायोग		141.63	47.21	184.23	4.61	188.84	131.04	110.61

निधियों के उपयोग में पायी गयी कमियों का वर्णन नीचे किया गया है-

कम निकासी/राशि के उपयोग का अभाव

दिशा निर्देशों के पैरा 11.3 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा सदृश अंशदान की प्रतिबद्धता प्रकट करने के पश्चात केन्द्रीयों का 50 प्रतिशत, प्रथम किशत के रूप में जारी किया जाना था। शेष राशि सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार, व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं परिषद द्वारा कम से कम जारी अनुदान राशि का 50 प्रतिशत उपयोग कर लिये जाने के बाद जारी की जानी थी।

91 स्कूलों (प्रथम चरण) के निर्माण हेतु रामाशिप को ₹ 281.69 करोड़³⁸ अनुदान प्राप्त करना था इसके विपरीत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मात्र ₹ 122.28 करोड़ जारी किये गये। रा.मा.शि.प. द्वारा प्रथम चरण की शेष राशि ₹ 159.41 करोड़ प्राप्त करने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, रामाशिप द्वारा भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र (उप्रप) प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा बकाया अनुदान जारी नहीं किया गया। उप्रप प्रस्तुत नहीं करने के कारण पूछे गये (अगस्त 2013), जो कि उपलब्ध नहीं कराये गये (नवम्बर 2013)।

रामाशिप द्वारा 43 ब्लॉकों (द्वितीय चरण) में मॉडल स्कूलों के निर्माण हेतु ₹ 66.56 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया गया (2011-13) जो कि इन स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के कारण (अगस्त 2013) अनुपयोगी रहा। रामाशिप द्वारा निर्णय लिया गया (जनवरी 2013) कि प्रथम चरण के 20

38. (₹ 3.02 करोड़ प्रति स्कूल मव निर्माण लागत एवं अन्व मुतिभाएं + 2.5 प्रतिशत प्र.अ.मु.अ.)×91 स्कूल।

स्कूलों³⁹ व द्वितीय चरण के 43 स्कूलों का निर्माण, जिनके लिए पहले से ही अनुदान प्राप्त हो गया था, भारत सरकार से संशोधित इकाई लागत के अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् कराया जायेगा। परिणामस्वरूप अनुदान अनुपयोजित रहा।

राज्य सरकार द्वारा इसकी पुष्टि (नवम्बर 2013) की गयी।

परिहार्य व्यय

प्रोरेटा चार्ज के भुगतान पर ₹ 21.83 करोड़ का परिहार्य व्यय।

दिशा निर्देशों का पैरा 4.3, मॉडल स्कूल के भवनों का निर्माण राज्य संस्थाओं द्वारा किये जाने का प्रावधान करता है। इसके विपरीत, रामाशिप द्वारा सानिवि को कार्य आवंटित किया गया एवं राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप व मुख्य अभियन्ता (भवन), सानिवि के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) कुल लागत ₹ 254.80 करोड़ मय 13 प्रतिशत प्रोरेटा चार्ज के हस्ताक्षरित (नवम्बर 2011) किया गया। इसके विरुद्ध, रामाशिप ने 2011-13 के दौरान सानिवि को कुल ₹ 131.04 करोड़ का राशि जारी की।

अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि सानिवि द्वारा केवल 71 स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिन पर कुल व्यय ₹ 198.80 करोड़⁴⁰ था। इसमें प्रोरेटा चार्ज ₹ 21.83 करोड़⁴¹ शामिल थे। प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग ने रामाशिप को इन चार्ज को माफ कराने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध करने का सुझाव दिया (जुलाई 2012) लेकिन रामाशिप द्वारा ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया। इस प्रकार परिषद द्वारा स्वयं कार्य करने के बजाय सानिवि को कार्य देने से, रामाशिप को प्रोरेटा चार्ज ₹ 21.83 करोड़ का अतिरिक्त दायित्व लेना पड़ा।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया (नवम्बर 2013) कि प्रोरेटा चार्ज को माफ करने का प्रस्ताव सानिवि द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। यह भी बताया गया कि सानिवि द्वारा प्रोरेटा चार्ज सभी डिपॉजिट बक्स पर चार्ज किया जा रहा था। एमओयू में भी प्रोरेटा चार्ज का प्रावधान था।

तथ्य यह रहा कि सानिवि को कार्य आवंटित करने के परिणामस्वरूप ₹ 21.83 करोड़ का अतिरिक्त दायित्व हुआ।

अधिक/अनियमित व्यय एवं प्रबन्ध, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान (प्रअमूअ) राशि का विषयन

भारत सरकार द्वारा मॉडल स्कूलों के लिए जारी राशि के स्वीकृति आदेशों में, मॉडल स्कूल के निर्माण लागत का 2.5 प्रतिशत प्रबन्ध अनुश्रवण मूल्यांकन एवं अनुसंधान (प्रअमूअ) में व्यय किये जाने का प्रावधान था।

39. एक स्कूल का कार्य प्रारम्भ नहीं एवं 19 स्कूल सा.नि.वि. द्वारा रा.मा.शि.प. को वापस हस्तान्तरित।

40. 71 स्कूल X ₹ 2.80 करोड़ प्रति स्कूल

41. ₹ 2.365 करोड़ X 13 प्रतिशत X 71 स्कूल = ₹ 21.83 करोड़

प्रअमूअ मद में प्राप्त राशि के भुगतान/विपथन में पाई गई अनियमिततायें निम्नलिखित हैं:

- रामाशिप ने 21 जिलों में सहायक/कनिष्ठ अभियन्ताओं के वेतन एवं भत्तों पर ₹ 1.12 करोड़ व्यय किये यद्यपि, सानिवि कार्यकारी एजेन्सी के रूप में पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य कर रही थी एवं रामाशिप के सहायक/कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा कोई पर्यवेक्षण कार्य नहीं किया गया था।
- नौ जिलों, जहाँ मॉडल स्कूलों का कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ था एवं दो जिले जो कि योजना में शामिल नहीं थे, में सहायक/कनिष्ठ अभियन्ताओं के वेतन एवं भत्तों पर ₹ 1.31 करोड़ व्यय किये गये
- भारत सरकार के स्वीकृति आदेश के कलॉज 2 के अनुसार, अनुदान अनुमोदित कार्यक्रमों पर दिशा निर्देशों के अनुरूप ही उपयोग किया जाना चाहिये था एवं कोई विचलन अनुमत्य नहीं था। राज्य सरकार द्वारा अपने स्वीकृति आदेश के 3 में भी इसे दोहराया गया था।

अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि रामाशिप ने प्रअमूअ की ₹ 2.99 करोड़ की राशि का अनाधिकृत रूप से अन्य योजनाओं पर विपथन किया (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रामाशिअ) पर ₹ 1.32 करोड़⁴² एवं बालिका छात्रावास योजना पर ₹ 1.67 करोड़)।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2013) कि रामाशिअ एवं बालिका छात्रावास योजना मद में राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण इस योजना से व्यय किया गया था, जो ऋण के रूप में माना गया है। इसे वापिस मॉडल स्कूल योजना में हस्तान्तरण किये जाने को कार्यवाही की जा रही थी।

2.4.3.4 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में कमी

रा.मा.शि.प. व उसकी समितियों ने मॉडल स्कूलों के निर्माण कार्य का अनुश्रवण नहीं किया

दिशा निर्देशों का पैरा 12.2 आन्तरिक अनुश्रवण को रामाशिप द्वारा किया जाना नियत करता है। दिशा निर्देशों का पैरा 14 भी स्कूलों के कार्यों का निरन्तर मूल्यांकन, नियमित एवं सुसंरचित व्यवस्था से किया जाना प्राविधित करता है। इसके अतिरिक्त, योजना का अनुश्रवण मय निर्माण की प्रगति का कार्य, एक स्वतन्त्र एजेन्सी को दिया जा सकता है। राज्य सरकार भी जिला एवं राज्य स्तर पर योजना का अनुश्रवण करने के लिये समितियों का गठन करेगी। अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि:

- राज्य सरकार ने सम्बन्धित जिला कलक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया किन्तु समिति द्वारा निर्माण कार्य का अनुश्रवण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप निर्माण कार्य अपूर्ण रहा अथवा विलम्ब से हुआ।

12. अध्यापक प्रशिक्षण: ₹ 97.14 लाख एवं कंप्यूटर ऋण: ₹ 34.94 लाख।

- रामाशिप ने जिला परियोजना समन्वयकों (जिपस) को समीप के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा मॉडल स्कूलों के निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करने एवं जिला स्तर पर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मासिक बैठक आयोजित करने के निर्देश (फरवरी 2012) भी जारी किये। रामाशिप ने आगे सभी जिपस एवं सहायक अभियन्ता, रामाशिप को मॉडल स्कूलों का निरीक्षण करने एवं प्रतिवेदन अधिशाषी अभियन्ता को प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया (मई 2012)।

तथापि, ना तो प्रधानाध्यापक एवं सहायक अभियन्ताओं द्वारा कोई पर्यवेक्षण/निरीक्षण/मासिक बैठक आयोजित की गई और ना ही अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय), रामाशिप द्वारा ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2013) कि जिला परियोजना समन्वयकों/सहायक जिला परियोजना समन्वयकों एवं सहायक अभियन्ताओं द्वारा सामयिक निरीक्षण किये गये, जिसके प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यालयों में उपलब्ध थे। मॉडल स्कूलों का निरीक्षण राज्य परियोजना निदेशक/अतिरिक्त परियोजना निदेशक, नियंत्रक वित्त, अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय), रामाशिप एवं अन्य अधिकारियों द्वारा भी किये गये थे, जिसके प्रतिवेदन रामाशिप (मुख्यालय) पर उपलब्ध थे।

प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि ऐसे कोई प्रतिवेदन रामाशिप द्वारा लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये।

- आगे, किसी भी स्वतन्त्र एजेन्सी से योजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, मय निर्माण कार्य की प्रगति, नहीं कराया गया।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2013) कि सानिचि के अभियन्ताओं द्वारा निर्माण कार्य का नियमित अनुश्रवण किया गया है एवं इसका मासिक प्रगति प्रतिवेदन रामाशिप को समीक्षा करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि रामाशिप के पास ऐसी कोई सूचना कि सानिचि द्वारा प्रत्येक स्कूल में कितने क्षेत्र में वास्तविक निर्माण किया गया, जो कि अनुश्रवण की कमी को इंगित करता हो उपलब्ध नहीं थी। यह भी ध्यान में आया कि किसी स्वतन्त्र एजेन्सी को योजना का अनुश्रवण का कार्य नहीं सौंपा गया था।

2.4.3.5 अनुराधारें

- विभाग द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिये जिससे कि लक्षित समूह को योजना का लाभ मिल सके।
- रामाशिप द्वारा मॉडल स्कूलों के निर्माण कार्य स्वयं के द्वारा किये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे कि अन्य एजेन्सियों को प्रोटेटा चार्जेंज भुगतान करने से बचा जा सके एवं जिससे इकाई लागत कम की जा सके।

- रामाशिप द्वारा समीक्षा की जानी चाहिये कि अनुमानित इकाई लागत ₹ 1,256 प्रति व.फु. से इकाई लागत (₹ 1,867 प्रति व.फु.) अधिक क्यों है।
- पूर्ण हो चुके स्कूलों का तुरन्त कब्जा ले लेना चाहिये तथा स्टॉफ एवं प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर देनी चाहिये।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

2.4.4 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के वितरण में अनियमितताएँ

2.4.4.1 उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति एक केंद्र प्रवर्तित योजना है जो कि उत्तर मैट्रिक अथवा उच्च माध्यमिक स्तर में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनको अपनी शिक्षा पूर्ण करने योग्य बनाना है।

मीडिया में आई रिपोर्ट्स⁴³ एवं कई जिलों में उच्च माध्यमिक छात्रवृत्ति (उमाछा) के कपटपूर्ण आहरण पर प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में, अजा, अजजा, एवं अपिव समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति संवितरण पर 2008-13 को आवृत्त करते हुए, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत जिला स्तर के कार्यालयों में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में किये गये व्यय एवं प्राप्त शिकायतों के आधार पर आयुक्त, कार्यालय एवं 8 जिलों⁴⁴ का चयन कर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान की आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली लेखा परीक्षा (अप्रैल जून 2013) की गई। राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संवितरण पर ₹ 1,227.23 करोड़ का व्यय किया गया।

इन रिपोर्टों की कार्यप्रणाली पता लगाने हेतु चयनित जिलों के 9,83,895 (₹ 578.93 करोड़) में से 49,196 लाभार्थियों (₹ 29 करोड़ लगभग) के अभिलेखों की नमूना जांच की गई। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कुल 49,196 छात्रों, जिनके छात्रवृत्ति विवरण की जांच की गई, में से 6,731 अर्थात् 14 प्रतिशत छात्रों के अभिलेखों में अनियमित/अधिक भुगतान था। इस तरह का भुगतान जयपुर एवं टोंक जिलों में सबसे अधिक (22 प्रतिशत) था। पाई गई अनियमितताओं को नीचे बताया गया है:

43. राजस्थान पत्रिका (25.28. जनवरी, 26 फरवरी 2013) दैनिक भास्कर (12, 30 मार्च 2012)।

44. अजमेर, अलवर, बार, दौसा, जयपुर, करौली, सवाईनाथपुर व टोंक।

2.4.4.2 छात्रवृत्ति का बैंक के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में सीधे भुगतान के बजाय निजी महाविद्यालयों/संस्थाओं को भुगतान करना

वर्ष 2008-09 से पूर्व, निजी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे छात्रों के मामले में, अजा, अजजा व अपिव के छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण विभाग द्वारा निजी संस्थाओं के माध्यम से किया जाता था। राजस्थान सरकार ने निर्देशित किया (दिसम्बर 2008) कि छात्रों को छात्रवृत्ति का समय से भुगतान करने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2008-09 से भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किया जायेगा। तथापि, सरकार ने स्पष्ट किया (फरवरी 2009) कि ऐसे प्रकरणों में जिनमें छात्रों को बैंक खाता संख्या प्राप्त नहीं है, छात्रों को वर्ष 2008-09 की छात्रवृत्ति का वितरण पूर्व प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा तथा 1 अप्रैल 2009 से केवल बैंक खातों के माध्यम से ही छात्रवृत्ति का वितरण किया जायेगा।

तथापि, संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2008-09 व 2009-10 में राशि ₹ 39.49 करोड़⁴⁵, छात्रों के सीधे बैंक खातों के माध्यम से भुगतान के बजाय, निजी संस्थाओं/महाविद्यालयों को दी गई। यह छात्रों के बैंक खाता खुलवाने के लिए विभाग के प्रयासों की कमी को इंगित करता है। वर्ष 2009-10 से आगे, जिला स्तरीय कार्यालय, अजमेर एवं अलवर के अतिरिक्त सभी छात्रों को भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किया जा रहा था।

वर्ष 2008-09 के दौरान अधिकतम अनियमितताएँ निजी संस्थाओं से संबंधित थी तथा छात्रवृत्ति का निर्गमन छात्रों के खातों के बजाय निजी संस्थाओं को उनके बैंक खातों के माध्यम से, करने के कारण थी। 2008-09 में इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष के अन्त (दिसम्बर 2008) में निर्देश जारी किये परन्तु वह इन निर्देशों को 2008-09 के दौरान लागू करने में विफल रही।

2008-13 के दौरान लेखा परीक्षा के ध्यान में आई ₹ 4.78 करोड़ के अनियमित भुगतान में से, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान ₹ 4.21 करोड़, अकेले 2008-09 (88 प्रतिशत) की अवधि से सम्बन्धित थे, जिनका वर्णन आगे के पैराग्राफ में दिया गया है।

2.4.4.3 छात्रवृत्ति वितरण में अनियमिततायें

कपटपूर्ण दावों का भुगतान

भारत सरकार ने निवेदन किया (दिसम्बर 2006) कि 'यह सुनिश्चित हो कि राज्य सरकार को पास एक मुदुद तन्त्र मौजूद है ताकि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, बिना किसी छीजत के एवं कपटपूर्ण भुगतानों की गुंजाइश के क्रियान्वित हो सकें'। राज्य सरकार ने भारत सरकार के निर्देशों को जिला

45. अजमेर: ₹ 3.49 करोड़, अलवर: ₹ 5.57 करोड़, बांरा: ₹ 0.74 करोड़, दौमा: ₹ 2.47 करोड़, जयपुर: ₹ 14.83 करोड़, करौली: ₹ 7.95 करोड़, सवाईमाधोपुर: ₹ 1.47 करोड़ एवं टोंक: ₹ 2.97 करोड़।

स्तरीय कार्यालयों को पृष्ठांकित कर यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया (मार्च 2007) कि छात्रवृत्ति की स्वीकृति केवल मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पात्र छात्रों को करें।

संवीक्षा में पाया गया कि जिला स्तरीय कार्यालय जयपुर के द्वारा तीन गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं के ऐसे छात्रों को, जो इन संस्थाओं में अध्ययन नहीं कर रहे थे, छात्रवृत्ति का भुगतान ऐसे दस्तावेजों जैसे जाति प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया जिनकी सत्यता संदेहास्पद थी। उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के निष्कर्षों के अनुसार (जून 2010) इन संस्थाओं को जारी की गई राशि, छात्रों के खातों में जमा कराने के स्थान पर वास्तव में इन संस्थाओं द्वारा अधिकृत श्री शैलेन्द्र कुमार के द्वारा आहरित की गयी। इसी प्रकार जिला स्तरीय कार्यालय भरतपुर के द्वारा राशि ₹ 5.69 लाख छात्रों को ऐसी संस्था के माध्यम से दिया गया जो कि अस्तित्व में नहीं थी। कपटपूर्ण भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है:

कपटपूर्ण दावों के भुगतान

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	संस्था का नाम	स्वीकृतकर्ता अधिकारी का नाम	छात्रवृत्ति का नाम	छात्रों की संख्या	भुगतान की गई राशि	अवधि	संस्था की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नेटिकल एण्ड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग	उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	अज्ञात अत्रा	17 18	7.58 8.40	2008-09	मान्यता प्राप्त नहीं
2.	श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोटपुतली	उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	अज्ञात अत्रा	31 11	20.06 4.10	2008-09	मान्यता प्राप्त नहीं
3.	विनायक वेदवरी कॉलेज ऑफ मेडिसिन, सीतापुरा जून्डरिस्ट्रिक्ट, परिया, जयपुर	उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	अज्ञात	10	12.71	2008-09	मान्यता प्राप्त नहीं
4.	सरदार सिंह नर्सिंग कॉलेज, संगरी, नुरेन (नक्षत्र प्रदेश)	उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर	अज्ञात	10	5.69	2009-10	अस्तित्व में नहीं
	योग			97	58.84		

स्रोत: विभाग के अभिलेखों से निष्कर्षित

इस प्रकार, जिला स्तरीय कार्यालय जयपुर एवं भरतपुर द्वारा, संस्थानों की स्थिति एवं छात्रों के दावों की सत्यता को सत्यापित किये बिना, छात्रवृत्ति स्वीकृत की जिसके परिणामस्वरूप 97 प्रकरणों में राशि ₹ 58.84 लाख का कपटपूर्ण भुगतान किया गया।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2013) कि तीन संस्थानों (क्रम संख्या एक से तीन) को काली सूची में डाल दिया गया है, उनके विरुद्ध भूराजस्व

अधिनियम के तहत वसूली को कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। सरकार ने यह भी अवगत कराया कि चौथी संस्था (सरदार सिंह नर्सिंग कॉलेज मांगरोल मुर्ना) अस्तित्व में नहीं थी तथा छात्रों के नाम व पते फर्जी पाये गये थे। इस प्रकरण में न्यायालय में रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई थी। आगे, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन थी।

निजी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे छात्रों को फीस का अधिक पुनर्भरण

सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने निजी संचालित नर्सिंग संस्थानों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (औप्रसं) में अध्ययन कर रहे अजा/अजजा वर्ग के छात्रों को राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करने का स्पष्टीकरण (अप्रैल 2008) जारी किया था। आगे, स्पष्ट किया (मार्च 2010) कि निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययन कर रहे छात्रों को फीस का पुनर्भरण सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के स्ववित्त पोषण योजना के लिए निर्धारित फीस, अर्थात् वर्ष 2008-09 के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए ₹ 12,000 एवं फिटर एवं डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए ₹ 11,500 से सीमित होगी।

संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये सात जिलों⁴⁶ में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्ययन कर रहे 4,699 अजा/अजजा के छात्रों को इन पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित की गई फीस (प्रति वर्ष) से सीमित करने के बजाय वास्तव में भुगतान की गई फीस के आधार पर शुल्क का पुनर्भरण किया गया। कुल देय राशि ₹ 5.50 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 8.62 करोड़ का भुगतान करने से राशि ₹ 3.12 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2013) कि जिला स्तरीय कार्यालय अलवर, अजमेर, दौसा, जयपुर, करौली, सवाईमाधोपुर एवं टोंक के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार निदेशालय द्वारा फीस संरचना मार्च 2010 में जारी की गई थी जब कि भुगतान वर्ष 2008-09 में किया गया। आगे, यह भी अवगत कराया कि वित्तीय अनियमितताओं की विस्तृत जांच की जा रही थी।

प्रतिलुत्तर मान्य नहीं था क्योंकि फीस को सीमित करने के आदेश अप्रैल 2008 एवं स्पष्टीकरण मार्च 2010 में जारी किया गया था।

गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान

छात्रवृत्ति के दिशा निर्देशों का पैरा III(ii) निर्दिष्ट करता है कि मान्यता प्राप्त संस्थाओं में मान्यता प्राप्त उत्तर मैट्रिक/उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम के अध्ययन पर, छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। आगे, दूरस्थ शिक्षा परिषद, इग्नू, ने स्पष्ट किया (जनवरी 2006) कि राज्य के विश्व विद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों को राज्य के बाहर दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रमों को प्रदान करने की अनुमति नहीं है

46. अजमेर (83 छात्र: ₹ 0.02 करोड़), अलवर (1037 छात्र: ₹ 0.55 करोड़), दौसा (1,243 छात्र: ₹ 0.68 करोड़), जयपुर (977 छात्र: ₹ 0.75 करोड़), करौली (614 छात्र: ₹ 0.66 करोड़) सवाईमाधोपुर (297 छात्र: ₹ 0.32 करोड़) एवं टोंक (448 छात्र: ₹ 0.14 करोड़)

एवं यह कि निजी अध्ययन केन्द्रों/फ्रेन्चाइजी के माध्यम से संचालन की अनुमति नहीं होगी।

संवीक्षा में पाया गया कि ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी दीमापुर, नागालैंड के द्वारा एअर होस्टेस एवं होस्पिटेलिटी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन हेतु अधिकृत वीन्स एकादमी मालवीय नगर, जयपुर के द्वारा 44 छात्रों को वर्ष 2008-09 में यह प्रशिक्षण प्रदान किया गया। दूरस्थ शिक्षा परिषद (ईग्नू) से ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी को इन पाठ्यक्रमों को नागालैंड राज्य में ही प्रदान करने की मान्यता थी एवं निजी अध्ययन केन्द्र के माध्यम से राजस्थान में इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मान्यता नहीं थी। क्योंकि संस्था को राज्य में छात्रवृत्ति प्रदान करने की मान्यता नहीं थी, अतः वीन्स एकादमी, जयपुर के छात्रों को राशि ₹ 51.34 लाख का भुगतान अनियमित था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2013) कि वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। तथापि, तथ्य यह रहा कि विभाग द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत करने से पूर्व संस्था की मान्यता का सत्यापन नहीं किया गया जो कि कमजोर आंतरिक नियन्त्रण को इंगित करता है।

छात्रवृत्ति का अधिक/दोहरा भुगतान

छात्रवृत्ति के दिशा निर्देशों के पैरा V (iii) एवं इस पैरा के नीचे दी गयी टिप्पणी निर्दिष्ट करती है कि मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा शुल्क संरचना के अनुसार प्रभारित की गई अनिवार्य अप्रतिदायो शुल्क का पूर्णतः पुनर्भरण किया जा सकता है जिसमें नामांकन/पंजीकरण, शिक्षण, खेल, पुस्तकालय, पत्रिका, मेडिकल परीक्षण तथा छात्रों द्वारा देय अन्य अनिवार्य शुल्क शामिल हो सकते हैं एवं जो कि प्राधिकारी से अनुमोदित है। उल्लेखित दिशा निर्देशों के पैरा V के अनुसार छात्रवृत्ति के मूल्य में अनुरक्षण भत्ता भी शामिल है।

लेखा परीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान 1,694 छात्रों को भुगतान योग्य राशि ₹ 27.32 लाख के विरुद्ध राशि ₹ 43.58 लाख का भुगतान करने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 16.26 लाख का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

छात्रवृत्ति का अधिक/दोहरा भुगतान

(₹ लाख में)

क्र.सं	अधिक/दोहरा भुगतान करने का प्रकार	जिलों का नाम	छात्रों की संख्या	देय राशि	भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान	अवधि
1.	छात्रों के द्वारा भुगतान की गई राशि से अधिक शुल्क का पुनर्भरण	जयपुर	11	0.68	4.96	4.28	2008-09
2.	फॉर्म संरचना/संरक्षारी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक शुल्क का पुनर्भरण	वांरा, जयपुर और करौली	24	5.95	8.95	3.00	2008-09 एवं 2011-12
3.	गलत/अशुद्ध गणना के कारण अधिक शुल्क का पुनर्भरण	जयपुर	4	1.43	2.27	0.84	2008-09

क्र.सं	अधिक/दोहरा भुगतान करने का प्रकार	जिलों का नाम	छात्रों की संख्या	देय राशि	भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान	अवधि
4.	सरकारी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर से अधिक का अनुक्षण भत्ते का भुगतान	जयपुर और करीली	1640	15.90	21.01	5.11	2008-11
5.	दो संस्थाओं के द्वारा एक ही छात्र/एक संस्था के द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम/उर्सी पाठ्यक्रम या वर्ष ने दो बार भुगतान करने से दोहरा भुगतान	उदुपूर, करीली, जयपुर और टोक	15	3.36	6.39	3.03	2008-10
योग			1694	27.32	43.58	16.26	

स्रोत: छात्रवृत्ति की स्वीकृति तथा जिला स्तरीय कार्यालयों द्वारा भुगतान किये गये बिल।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2013) कि वसूली की कार्यवाही की जा रही है। यह जिला स्तरीय कार्यालयों के द्वारा आवेदन पत्रों की कमजोर संवीक्षा को दर्शाता है जिसके परिणाम स्वरूप अधिक/दोहरा भुगतान हुआ।

2.4.4.4 नियन्त्रण की कमियाँ

आवेदन पत्रों की अपर्याप्त संवीक्षा

सरकार के निर्देशानुसार (अगस्त 2009) छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए छात्रों को आवेदन पत्र, दस्तावेजों यथा जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पास की गई सभी परीक्षाओं के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि, अधिवास प्रमाण पत्र, माता पिता/अभिभावक का आय प्रमाण पत्र तथा शुल्क की रसीद की मूल प्रति आदि सहित, संबंधित संस्था के माध्यम से जिला स्तरीय कार्यालय को प्रस्तुत करना था।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रकरणों में, आवेदन पत्रों के साथ आवश्यक दस्तावेजों के संलग्न किये बिना राशि ₹ 40.08 लाख की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी।

छात्रवृत्ति के आवेदन पत्रों के साथ आवश्यक दस्तावेजों के संलग्न का अभाव

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	आवेदन पत्रों के साथ दस्तावेजों का संलग्न नहीं होना	जिलों का नाम	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	अधिवास/जाति प्रमाण पत्र	जयपुर, सवाई माधोपुर एवं टोक	20	4.03
2	शुल्क रसीद	टीस एवं सवाई माधोपुर	8	1.14
3	अध्ययन निरन्तर नदी के नामों में निम्नलिखित नाम पर छात्र का अंतगल का प्रमाण पत्र	टीस, जयपुर, करीली, सवाई माधोपुर टोक एवं टोक	58	9.97
4	माता-पिता/अभिभावकों के आय का वैध प्रमाण पत्र	टीस, जयपुर, करीली, सवाई माधोपुर एवं टोक	41	10.52

क्र. सं.	आवेदन पत्रों के साथ दस्तावेजों का संलग्न नहीं होना	जिलों का नाम	प्रकरणों की संख्या	राशि
5	राज्य सरकार की अनुमति के बिना अध्यापन का विपणन/पाठ्यक्रम, त्रिजके लिये मूल्य: छात्रवृत्ति स्वीकृति की गई थी, ने परिवर्तित	दौसा, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर एवं टोंक	39	6.02
6	छात्र द्वारा अन्य छात्रवृत्ति/वृत्तिका प्राप्त करना	दौसा	01	0.10
7	आय के प्रमाण में गता पिता से हलफनामा	चारों	11	2.19
8.	पात्रता परीक्षा की अंतिम श्रेणी तालिका	जयपुर, सवाई माधोपुर एवं टोंक	14	3.53
9.	आवेदन पत्रों पर अभिहित करने वाली मंथन के अधिकारों के इत्यादि	सवाई माधोपुर एवं टोंक	15	2.58
	योग		207	40.08

स्रोत: जिला स्तर के कार्यालयों में छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र, स्वीकृतियां एवं भुगतान शुदा जिला।

ऐसी परिस्थितियों में गैर स्वीकार्यता/गैर पात्रता के कारण अनियमित भुगतान को ज्ञात नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2013) कि आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये जा रहे हैं एवं अनियमित भुगतान, यदि कोई है तो, उसकी वसूली की जायेगी।

माता-पिता की आय के सत्यापन का अभाव

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सभी जिला स्तरीय कार्यालयों को निर्देशित किया (अगस्त 2007) कि छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों की आय का यादृच्छिक सत्यापन किया जाये और अनियमितता होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाये। अजा व अजजा के उम्मीदवारों की पात्रता (अप्रैल 2003) ₹ एक लाख प्रति वर्ष थी जिसे संशोधित कर ₹ दो लाख प्रति वर्ष किया गया (जुलाई 2010)।

तहसीलदार के द्वारा वर्ष 2006-07 से 2011-12 के दौरान जारी किये गये गलत आय प्रमाण पत्र के आधार पर 34 छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति के आहरण के संबंध में प्राप्त शिकायत के फलस्वरूप जिला स्तरीय कार्यालय, जयपुर द्वारा नोटिस जारी किये गये एवं 13 छात्रों से राशि ₹ 19.19 लाख की वसूली की गई। हालांकि, संबंधित छात्रों को नोटिस जारी (जून 2013) करने के बावजूद भी 21 छात्रों से ₹ 38.66 लाख की वसूली लम्बित थी (जून 2013)।

संवीक्षा में पाया गया कि छात्रवृत्ति स्वीकृत करने से पूर्व अजमेर, दौसा, सवाईमाधोपुर और टोंक में माता-पिता/अभिभावकों की आय का यादृच्छिक सत्यापन नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2013) कि कर्मचारियों की कमी के कारण माता-पिता/अभिभावकों की आय का सत्यापन नहीं किया गया एवं शेष राशि की वसूली की कार्यवाही जारी थी।

मार्च के दौरान अत्यधिक व्यय

आवेदन पत्रों की अपर्याप्त जांच व अन्य नियंत्रणों के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक यह रहा कि नमूना जांच किये गये 8 जिलों में से 5 में वर्ष 2008-09 के दौरान (अलवर), 2009-10 (बारा, करौली), 2010-11 (अजमेर, करौली) एवं 2011-12 व 2012-13 (अजमेर, अलवर, बारा, जयपुर एवं करौली) में वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया। उपर्युक्त पैराग्राफों में, लेखा परीक्षा जांच में पाये गये अनियमित/अधिक भुगतान के 6,731 प्रकरणों में इन जिलों से संबंधित 4,500 प्रकरण (अलवर में 1,040; करौली में 683 एवं जयपुर में 2,777), अंतिम माह में अत्यधिक व्यय करने की वजह से दस्तावेजों के सत्यापन नहीं करने एवं आवेदन पत्रों की उचित जांच के अभाव को इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप अनियमित/अधिक भुगतान हुआ।

विभाग ने अवगत कराया (सितम्बर 2013) कि आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक होती है एवं यह कि छात्रवृत्ति के आवेदन पत्रों के देरी से प्राप्ति के परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष के अंत में अधिक व्यय किया गया।

विभाग का प्रत्युत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग ने वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में अत्यधिक व्यय से बचने के लिए छात्रवृत्ति के आवेदन पत्रों को पूरे साल प्राप्त करने की समय-बद्ध प्रणाली सुनिश्चित नहीं की।

बैंक ड्राफ्टों/चैकों का अवितरित रहना

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग 1 का नियम 13 निर्दिष्ट करता है कि जो धन राशियां निर्विवाद रूप से देय एवं आवश्यक हों, उनके भुगतान को स्थगित नहीं करना चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि सभी नमूना जांच किये गये जिलों में छात्रों के वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि की राशि ₹ 18.18 करोड़⁴⁷ के ड्राफ्टों/चैकों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के पास अवितरित पड़े थे। पुनर्विधायन/वितरण की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2013) कि बैंक खाता नहीं होने से अथवा बैंक खाता गलत होन से चैकों/ड्राफ्टों अवितरित रहे। आगे यह भी बताया कि इन चैकस/बैंक ड्राफ्टस के वितरण के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रत्युत्तर मान्य नहीं था क्योंकि चैकों/बैंक ड्राफ्टों को समय पर छात्रों को वितरण करने की कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई। यह दावों की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है।

47. अजमेर (₹ 0.11 करोड़), अलवर (₹ 0.11 करोड़), बारा (₹ 0.02 करोड़), दौसा (₹ 0.28 करोड़), जयपुर (₹ 17.46 करोड़), करौली (₹ 0.03 करोड़), सवाईमाधोपुर (₹ 0.16 करोड़) और टोंक (₹ 0.01 करोड़)

कर्मचारियों की कमी

लेखा परीक्षा की संवीक्षा में पाया गया कि विभाग के विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत 4,145 पदों में से 1,743 पद, मुख्यतः उपनिदेशकों (14) सहायक निदेशकों (35) जिला परिवीक्षाधीन एवं समाज कल्याण अधिकारियों (38) सहायक लेखाधिकारियों (2) लेखाकारों (33) कनिष्ठ लेखाकारों (33) छात्रावास अधीक्षकों (300) उच्च श्रेणी लिपिकों (23) निम्न श्रेणी लिपिकों (97), मार्च 2013 को रिक्त पड़े थे। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसा कि राज्य सरकार ने पैरा 2.4.4.4 में स्वीकार किया है।

आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा के द्वारा अनुपालना के लिए कमजोर प्रयास

आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक भाग है। यह संगठन के अन्तर्गत एक स्वतंत्र इकाई है जो कि विभाग के नियमों एवं प्रक्रियाओं की अनुपालना के स्तर का आवधिक मूल्यांकन करता है।

मुख्य लेखा अधिकारी के अधीन तीन दलों के द्वारा विभाग की आंतरिक लेखा परीक्षा की जाती है, जो लेखा परीक्षा की गई इकाइयों को सुधारात्मक कार्यवाही एवं अनुपालना के लिए रिपोर्ट जारी करता है। आन्तरिक लेखा परीक्षा की अवधि वार्षिक है।

यह पाया गया (जून 2013) कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि से संबंधित 192 निरीक्षण प्रतिवेदनों कि 1,974 पैराग्राफ अनुपालना के अभाव में लम्बित थे जो कि लेखा परीक्षित कार्यालयों के द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा की टिप्पणियों के प्रति यथेष्ट उत्तर देने का अभाव तथा आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा के द्वारा अनुपालना हेतु कमजोर प्रयास को ईंगित करता है।

लेखा परीक्षित इकाइयों एवं इनमें कमी की स्थिति निम्न प्रकार है:

आंतरिक लेखा परीक्षा की स्थिति

वर्ष	लेखा परीक्षा योग्य कुल इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखा परीक्षित इकाइयाँ	कमी का प्रतिशत
2008-09	103	101	2.00
2009-10	103	101	2.00
2010-11	103	74	28.15
2011-12	103	26	74.75
2012-13	103	36	65.05

स्रोत: विभाग के द्वारा प्रदत्त सूचना

आंतरिक लेखा परीक्षा में कमी, वर्ष 2008-09 के 2 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 75 प्रतिशत हो गई। अपर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के पता नहीं लगने/देरी से पता लगने के जोखिम को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा लाभार्थियों पर योजनाओं के समग्र प्रभाव को जानने के लिए कोई मूल्यांकन नहीं कराया गया।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2013) कि आंतरिक लेखा परीक्षा में कमी कर्मचारियों की कमी के कारण थी।

तथ्य यह है कि कमजोर वर्ग के छात्रों द्वारा योजना का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग

2.4.5 ट्रीमा केन्द्रों के संचालित नहीं होने के कारण अनुत्पादक व्यय

₹ 9.47 करोड़ व्यय किये जाने के बावजूद ट्रीमा कैंसर केन्द्रों का संचालित नहीं होना एवं शेष सहायता ₹ 21.76 करोड़ की मांग करने में विभागों की विफलता

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत, राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित अस्पतालों में आपात सुविधाओं को उन्नत व सुदृढ़ करने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से ट्रीमा कैंसर केन्द्रों (टीसीसी) का तन्त्र विकसित करने के लिए एक तरफ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वापकर्म), भारत सरकार (भास) तथा दूसरी तरफ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (चिस्वा एवं पकवि) तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग (चिशिवि), राजस्थान सरकार के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया (सितम्बर 2007)। एमओयू 31 मार्च 2012 तक प्रभावी रहना था। इस योजना का उद्देश्य स्वर्णिम अवसर अवधारणा की पालना करते हुए ट्रीमा दुर्घटना के कारण होने वाली रूग्णता एवं मृत्यु दर को कम करना था। सम्बन्धित अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों, सम्बन्धित निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों, राज्य क्रय एजेंसी के अधिकारियों तथा भारत सरकार (स्वापकर्म) के प्रतिनिधियों से युक्त राज्य सरकार के चिकित्सा सचिव के अध्यक्षता में, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा कार्ययोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रथम वर्ष में दो माह में एक बार तथा तत्पश्चात् तिमाही आधार पर की जानी थी।

एमओयू के प्रावधानों के अनुसार, सहायता अनुदान की प्रथम किश्त वर्ष 2008-09 के दूसरे अर्द्ध में उपलब्ध कराई जानी थी तथा इसके बाद निस्तारण, प्रगति प्रतिवेदनो एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (यूसी) के आधार पर किया जाना था। प्रतिबद्धता प्रावधानों के साथ-साथ एमओयू में, अतिरिक्त कर्मचारियों (टीसीसी के लिए) की आवश्यकता संविदा के आधार पर कर्मचारी लगा कर पूरी करने, स्वीकृत कार्यों की आउट-सोर्सिंग करने, घायलों की निगरानी से सम्बद्ध कम्प्यूटरीकृत डाटा सुनिश्चित करने एवं स्वापकर्म को यूसी एवं व्यय के अंकेक्षण विवरण (एसओई) प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गयी।

भारत सरकार ने 11वीं योजना (सितम्बर 2007 से मार्च 2012) के दौरान राज्य के चयनित सरकारी अस्पतालों⁴⁸ में 10 ट्रीमा केयर केंद्र स्थापित करने के लिए ₹ 67.40 करोड़⁴⁹ आवंटित (2008-09) किये और वर्ष 2008 से 2013 के दौरान ₹ 36.48 करोड़ जारी किये गये।

चार ट्रीमा केयर केंद्रों (उदयपुर, कोटा, कोटपूतली व भीलवाड़ा) के अभिलेखों की नमूना जाँच (अगस्त-दिसम्बर 2012 तथा जनवरी 2013) तथा छह अस्पतालों⁵⁰ के प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों (प्रचिअ) से एकत्रित सूचनाओं से प्रकट हुआ कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर, जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर तथा आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर के ट्रीमा केयर केंद्रों ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था।

शेष सात ट्रीमा केयर केंद्रों की स्थिति निम्न प्रकार थी:

- न्यू मेडिकल कॉलेज, कोटा में भवन व उपकरण कार्य पूर्ण हो गए थे परन्तु कोई कर्मचारी पदस्थापित नहीं किया गया था। प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा ने बताया (जुलाई 2013) कि ट्रीमा केयर केंद्र अस्पताल की अस्थिर रोग इकाई में चल रहा है। तथापि, आवश्यक कर्मचारियों के बिना ट्रीमा केयर केंद्र का संतोषजनक संचालन संभव नहीं था।
- जिला अस्पताल, भीलवाड़ा में भवन पूर्ण नहीं हुआ था।
- जिला अस्पताल बांरा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, सिरोही तथा बीडीएम अस्पताल, कोटपूतली के ट्रीमा केयर केंद्र, कर्मचारियों एवं उपकरणों के उपलब्ध नहीं होने से, परिचालित नहीं किये जा सके।

यह पाया गया कि, जबकि तीन ट्रीमा केयर केंद्रों (डूंगरपुर, कोटपूतली व सिरोही) ने, 2008-13 के दौरान 2036 गंभीर रूप से घायल मरीजों को अन्य अस्पतालों में भेजा, शेष चार ट्रीमा केयर केंद्रों से भेजे गये मरीजों के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। ट्रीमा केयर केंद्रों के संचालित नहीं होने के कारण, गंभीर रूप से घायल मरीजों को ट्रीमा केयर केंद्रों के माध्यम से तात्कालिक राहत नहीं मिल सकी, अतः उनको अन्य अस्पतालों में भेजा जा कर उनके जीवन को खतरे में डाला गया।

राज्य सरकार द्वारा एमओयू में किये गये प्रतिबद्धताओं/दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पाने के कारण मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों के पास ₹ 7.22 करोड़ अनुपयोगी रहे तथा सात ट्रीमा केयर केंद्रों **परिशिष्ट 2.1** पर भवनों के निर्माण,

48. लेवल-11: सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर; आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर; न्यू मेडिकल कॉलेज, कोटा तथा जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर।

लेवल 111: बांरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कोटपूतली और सिरोही के राजकीय अस्पताल

49. चार लेवल-11 ट्रीमा केंद्रों के लिए ₹ 9.65 करोड़ प्रत्येक की दर से और लेवल-111 ट्रीमा केंद्रों के लिए ₹ 4.80 करोड़ प्रत्येक की दर से।

50. अजमेर, बांरा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर तथा सिरोही।

उपकरणों के क्रय, पदस्थापित कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों आदि पर किया गया ₹ 9.47 करोड़ का व्यय अनुत्पादक रहा। यह योजना के क्रियान्वयन/प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण में अनुश्रवण समिति की विफलता को इंगित करता है।

स्वापक्रम के बार-बार स्मरण करवाने (अप्रैल व जुलाई 2011; जनवरी, फरवरी व मई 2012) के बावजूद किसी भी मेडिकल कॉलेज/अस्पताल ने स्वापक्रम को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट के साथ अंकेंक्षित यूसी व एसओई, प्रेषित नहीं किए। परिणामस्वरूप राज्य सरकार, केन्द्रीय सहायता की शेष राशि ₹ 21.76 करोड़ **परिशिष्ट 2.1** को मांग नहीं कर सकी, अतः आमजन ट्रैमा देखभाल सुविधाओं से वंचित रहे।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (अक्टूबर 2013) कि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ कोटपूतली व सिरोही के ट्रैमा केयर केन्द्रों में उपकरणों का प्रापण प्रगति पर है। यह भी बताया कि ट्रैमा केयर केन्द्र, बांरा में मानव-शक्ति उपलब्ध करवाई जा रही है, ट्रैमा केयर केन्द्र, इंगरपुर का भवन लगभग पूर्ण हो गया है और इन केन्द्रों को शीघ्र प्रारम्भ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। यह भी अवगत करवाया गया कि गंभीर रूप से घायल मरीजों को उपलब्ध स्टॉफ व उपकरणों से उपचारित किया जा रहा है अथवा नजदीक के अस्पतालों में भेजा जा रहा है।

उत्तर से स्पष्ट है कि गंभीर रूप से घायल मरीजों को उचित राहत नहीं पहुँचा कर स्वर्णिम अवसर अवधारणा की अनदेखी की गई। राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करने व उपकरणों के क्रय को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने में विफल रहने से ट्रैमा केयर केन्द्र संचालित नहीं हुये तथा शेष केन्द्रीय सहायता भी प्राप्त नहीं हुई।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

2.4.6 अवमानक गुणवत्ता की औषधि आपूर्ति की वसूली नहीं करना

अवमानक गुणवत्ता की पाई गई औषधियों की ₹ 1.50 करोड़ की वसूली नहीं की गयी

राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में सभी अन्तरंग व बहिरंग रोगियों को मुफ्त जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना' (मुनिदयो) प्रारम्भ (अक्टूबर 2011) की गई।

योजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएमएससी) का गठन किया गया (मई 2011)। आरएमएससी को नोडल एजेंसी की तरह कार्य करते हुए, सम्पूर्ण राज्य में गुणवत्तापूर्ण दवाओं का क्रय एवं इन्हें जिला औषधि भण्डारगृहों के माध्यम से सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं को

आपूर्ति करनी थी। क्रय की गई दवाओं की गुणवत्ता को सूचीबद्ध औषधि जांच प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुनिश्चित करना था।

औषधियों के आपूर्ति के सम्बन्ध में, निविदा दस्तावेज की धारा 16 में प्रावधान था कि औषधियों के सक्रिय घटक उसकी शेलफ-लाइफ अवधि के दौरान अनुज्ञेय स्तर के भीतर रहने चाहिए। साथ ही धारा 19(3) में प्रावधान था कि आपूर्तिकर्ता, अवमानक गुणवत्ता (एनओएसक्यू) को पाई गई औषधि, चाहे वह उपभोग की गई हो या नहीं, के लिए किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए पात्र नहीं होगा। गुणवत्ता जांच में असफल होने के आधार पर उत्पाद/आपूर्तिकर्ता को ब्लैक-लिस्ट किया जायेगा।

आरएमएससी, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी-जून 2013) में प्रकट हुआ कि मैसर्स बायोजेनेटिक ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड को दवा आपूर्ति के लिए आदेश जारी किये गए (सितम्बर व दिसम्बर 2011)। फर्म ने जो दवा आपूर्ति की उनमें ₹ 1.64 करोड़⁵¹ लागत की 'एरिथ्रोमाईसिन एस्टोलेट ओरल सर्पेशन यूएसपी 125 मिग्रा/5 मिली (आइटम कोड संख्या 112)' दवा के 15 बैच शामिल थे। इस दवा का सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं⁵² द्वारा औषधि जांच व विश्लेषण किया गया (नवम्बर 2011 से मार्च 2012) और इनको मानक गुणवत्ता का घोषित किया गया। तथापि बाद में किये गये स्थायित्व व गुणवत्ता जांच (फरवरी-अप्रैल 2013) के दौरान 15 में से 14 बैच एनओएसक्यू पाए गये तथा औषधि को दो साल के लिए विवर्जित कर दिया गया (मई 2013)। इस दौरान फर्म को ₹ 1.64 करोड़ का भुगतान कर दिया जिसमें एनओएसक्यू घोषित औषधि का ₹ 1.50 करोड़ भी शामिल था। तथापि, विभाग ने, इस तथ्य के बावजूद कि औषधि एनओएसक्यू घोषित की गई थी और स्थायित्व जांच में असफल घोषित हुई थी, आपूर्तिकर्ता से ₹ 1.50 करोड़ की वसूली नहीं की।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2013) बताया कि ₹ 1.50 करोड़ की वसूली फर्म के दावों से कर ली गई है।

2.4.7 अनुत्पादक व्यय

राजस्थान हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत निर्मित ट्रीमा सेन्टर, बर्न-वार्ड, इंटेसिव केयर यूनिट और पुनर्वासि केन्द्रों के उपयोग नहीं होने के कारण ₹ 1.70 करोड़ का व्यय अनुत्पादी रहा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने राजस्थान हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (आरएसएसडीपी) के अन्तर्गत ₹ 87.02 लाख को सामान्य अस्पताल, जालौर में इंटेसिव केयर यूनिट (आईसीयू) (₹ 29.79 लाख),

51. ₹ 69.35 लाख (क्रय आदेश संख्या 351 दिनांक 29 सितम्बर 2011; ₹ 94.97 लाख (क्रय आदेश संख्या 321 दिनांक 30 दिसम्बर 2011)

52. मैसर्स अमोल फार्मास्युटिकल लिमिटेड, जयपुर एवं मैसर्स ओएमिस टेस्ट हाउस लिमिटेड, जयपुर।

बर्न-वार्ड (₹ 33.37 लाख) व पुनर्वासि केन्द्र (₹ 23.86 लाख) तथा ₹ 65.00 लाख की बांगड़ अस्पताल, पाली में ट्रीमा सेंटर के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की (दिसम्बर 2009)

• प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (प्रचिअ), सामान्य अस्पताल, जालौर के अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 2013) में प्रकट हुआ कि आरएचएसडीपी ने बर्न-वार्ड व पुनर्वासि केन्द्र के मरम्मत नवीनीकरण, अतिरिक्त व परिवर्तन कार्यों पर ₹ 60.72 लाख⁵³ का व्यय किया। कार्य मार्च 2011 में पूर्ण हुआ और सितम्बर 2011 में प्रचिअ, जालौर को हस्तांतरित किया गया। आरएचएसडीपी ने सितम्बर 2010 व अक्टूबर 2011 के मध्य बर्न-वार्ड व पुनर्वासि केन्द्र के लिए ₹ 7.94 लाख की लागत के उपकरण व मशीनरी आपूर्ति कर अस्पताल में स्थापित की। बर्न वार्ड व पुनर्वासि केन्द्र को संचालित करने के लिए राज्य सरकार ने 8 पद स्वीकृत किये (अगस्त 2009) जिनके विरुद्ध जून 2013 तक केवल पांच नर्स ग्रेड-2 (बर्न वार्ड: 4 तथा पुनर्वासि केन्द्र: 1) और एक कनिष्ठ सर्जन (बर्न वार्ड) ही पदस्थापित किये जा सके।

• इसी प्रकार, बांगड़ अस्पताल, पाली में ट्रीमा वार्ड की मरम्मत, नवीनीकरण, अतिरिक्त व परिवर्तन कार्य ₹ 70.04 लाख की लागत से मार्च 2011 में पूर्ण हुआ और अप्रैल 2011 में प्रचिअ, पाली को हस्तांतरित किया गया। आरएचएसडीपी ने ₹ 31.15 लाख की लागत के उपकरण आपूर्ति कर अस्पताल के ट्रीमा वार्ड में स्थापित किये। राज्य सरकार ने केन्द्र के संचालन के लिए 16 पद⁵⁴ स्वीकृत किये (अगस्त 2009)। तथापि, जून 2013 तक कोई भी चिकित्साकर्मि पदस्थापित नहीं किया गया।

यह उजागर करने पर प्रचिअ, बांगड़ अस्पताल, पाली व सामान्य अस्पताल, जालौर ने बताया कि ये इकाईयां, कर्मियों के पदस्थान नहीं होने से उपयोग में नहीं ली जा सकी।

इस प्रकार अगस्त 2009 में पद स्वीकृत होने के बावजूद जालौर में बर्न वार्ड व पुनर्वासि केन्द्र तथा पाली में ट्रीमा वार्ड, कर्मियों के पदस्थापन नहीं होने के कारण करीब दो साल से संचालित नहीं हो सके इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.70 करोड़⁵⁵ का व्यय, नागरिकों को संकटकालीन स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखते हुये, अनुत्पादित रहा।

राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित रहा (दिसम्बर 2013)।

53. ₹ 29.79 लाख आईसीयू की मरम्मत, नवीनीकरण व अतिरिक्त को छोड़ कर जो कि कार्यशील अवस्था में था।

54. कनिष्ठ विशेषज्ञ एमएस सर्जन: 1; चिकित्सा अधिकारी: 5 एवं ग्रेड 2 नर्स: 10

55. ₹ 1.31 करोड़: निर्माण एवं ₹ 0.39 करोड़: मशीनरी व उपकरण

महिला एवं बाल विकास विभाग

2.4.8 पूरक पोषाहार के अनधिकृत व अनियमित नष्टीकरण के कारण हानि

लाभार्थियों का पोषाहार आगंतों से वंचित रखे जाने तथा पूरक पोषाहार के अनधिकृत व अनियमित नष्टीकरण के कारण ₹ 1.82 करोड़ की हानि।

भारत सरकार की समेकित बाल विकास सेनाएँ (सबाविसे) योजना के अन्तर्गत, अल्प आय वाले परिवारों के छह वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा पालनवती व गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार (पूपो)⁵⁶ उपलब्ध करवाया जाता है। राज्य सरकार ने पूपो की प्राप्ति, भण्डारण व वितरण के लिए निर्देश/कार्यप्रणाली जारी की (फरवरी 2008 व जनवरी 2011)। तदनुसार, बाल विकास परियोजना अधिकारियों (बाविपअ), सबाविसे को पूपो का वितरण प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन आधार पर सुनिश्चित करना आवश्यक था। किसी भी स्थिति में यह अवधिपार (उत्पादन की तिथि से चार माह तक) नहीं होने देना था। पूपो एक माह की आवश्यकता से अधिक भी भण्डार में नहीं रखा जाना था। यदि किसी कारण से आगामी माह में पूपो की आवश्यकता नहीं हो तो चालू माह की पन्द्रह तारीख तक दूरभाष या फैक्स द्वारा अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार) को सूचित करना था। महिला एवं बाल विकास विभाग के उप-निदेशकों (उनि), बाविपअ तथा पर्यवेक्षकों को आंगनवाड़ी केन्द्रों (पूपो वितरण के केन्द्र बिन्दु) का निरीक्षण भी करना था और दूषित/अवधिपार भण्डार के प्रकरण को तुरन्त उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाना था।

आहार विपाकितकरण की घटना⁵⁷ (मई 2011) घटने के परिणामस्वरूप, निदेशक, सबाविसे, जयपुर ने जयपुर जोन-ए⁵⁸ के सभी उनि को बैच सं. जेपी 11 तथा जेपी 13 के पूपो (पंजीरी) का वितरण रोकने के निर्देश दिए (मई 2011)। जिला कलेक्टर, सीकर के मौखिक आदेश मिलने पर उनि, सीकर ने अपने अधीन सभी बाविपअ को सभी प्रकार के पूपो का वितरण अगले आदेशों तक रोकने के निर्देश दिए (31 मई 2011)। बैच संख्या जेपी-11 व जेपी-13 के पूपो के नमूने लिए गये (1 जून 2011) और स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जयपुर को भेजे गए। एहतियात के तौर पर, अन्य पूपो के नमूने भी लिए गए (8 जुलाई 2011)। रिपोर्ट, प्रिवेंशन ऑफ

56. पंजीरी, हलवा प्रीमिक्स एवं ड्रपमा प्रीमिक्स

57. विषाक्तिकरण की एक घटना गाँव दिवरला (सीकर) से रिपोर्ट की गई, जिसमें एक महिला सहायक ने छह गर्भवती लड़कियों (योजना में पंजीकृत नहीं) को पूपो वितरित किया था जिसको खाने से एक लड़की की मृत्यु हो गई तथा पाँच अन्य गंभीर रूप से बीमार हो गईं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर ने उनके द्वारा लिए गए पूपो के नमूने लिए, जिनकी जांच रिपोर्ट में पाया गया कि विषाक्तिकरण दूषित बर्तन के कारण हुआ था। तथापि, पाँच लड़कियों को पूरी तरह ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

58. अलवर, दौसा, जयपुर, झुन्झु तथा सीकर।

फूड एडलट्रेशन रूल्स, 1955 के प्रावधानों को प्रमाणित करते हुए, क्रमशः 21 जून 2011 (बैच संख्या जेपी 11 व जेपी 13) व 21 जुलाई 2011 (अन्य पूषों) को प्राप्त हुई।

निदेशक, सबाविसे, जयपुर से आगे निर्देश प्राप्त होने पर (19 जुलाई 2011) उनि, सीकर ने सभी बाविपअ को पूषों के वितरण पुनः प्रारम्भ करने एवं स्थानीय स्तर पर एक समिति बनाकर बैच संख्या जेपी-11 व जेपी-13 और अन्य अवधिपार पूषों को 15 दिन के भीतर नष्ट करने के आदेश दिए (21 जुलाई 2011)।

उनि, सबाविसे, सीकर के अभिलेखों की नमूना-जाँच (जुलाई-अगस्त 2012) में प्रकट हुआ कि 11 बाविपअ ने बैच संख्या जेपी-11 व जेपी-13 तथा अन्य अवधिपार पूषों नष्ट किया (अगस्त 2011) जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

नष्ट किये गये पूषों की स्थिति

निर्माण का माह	अवधिपार होने का माह	नष्ट किये गए पूषों की कुल मात्रा (क्विंटल में)	बैच सं. जेपी 11 व जेपी-13 की मात्रा ⁶⁰ (क्विंटल में)	नष्ट किये गए अन्य पूषों की मात्रा (क्विंटल में)	राशि (₹ करोड़ में)
फरवरी 2011	जून 2011	242.079		242.079	0.1
मार्च 2011	जुलाई 2011	691.953	-	691.953	0.29
अप्रैल 2011	अगस्त 2011	2,603.618	254.190	2,349.428	1.03
मई 2011	सितम्बर 2011	1,144.182	389.160	555.022	0.39
योग		4,681.834	543.350 ⁶¹	4,138.484	1.82

ऊपर दी गई सारणी दर्शाती है कि अप्रैल तथा मई 2011 में निर्मित पूषों (अवधिपारण अगस्त एवं सितम्बर 2011) भी अवधिपार पूषों के साथ अनियमित रूप से नष्ट कर दिए गए। फरवरी व मार्च 2011 में उत्पादित पूषों (अवधिपारण जून व जुलाई 2011) जुलाई 2011 तक उपयोग में नहीं लिया गया। अतः बाविपअ ने विभिन्न निर्देशों जैसे एक माह की आवश्यकता से अधिक पूषों स्टॉक में नहीं रखना, पूषों की आवश्यकता नहीं होने पर अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार) को सूचित करना एवं पूषों को प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन आधार पर वितरित करने की पालना नहीं की, परिणामस्वरूप ₹ 1.82 करोड़ का 4,681.834 क्विंटल पूषों नष्ट किया गया। साथ ही, पूषों सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (जीएफएआर) का पालन किये बिना नष्ट कर दिया गया।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2013) और अवगत कराया कि जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट (मार्च 2013) में उनि तथा सभी बाविपअ,

59. दानारामगढ़ थोद, फतेहपुर (शहरी), फतेहपुर (ग्रामीण), खंडेला, लक्ष्मणगढ़ नीम क थाना, पिपराली, सीकर शहर-1, सीकर शहर-11 तथा श्रीमाधोपुर

60. आपूर्तिकर्ता फर्म को कोर्ट भुगतान नहीं किया गया क्योंकि फर्म ने विभाग की जेपी-11 व जेपी-13 से सम्बद्ध सारा प्रेषित मल अवधिपार होने से पहले वापस डकाने का आग्रह नहीं माना।

61. लागत ₹ 19.97 लाख

सब्राविसे, सीकर को विभिन्न दिशा-निर्देशों की अनुपालना नहीं करने, सक्षम अधिकारी को स्वीकृति प्राप्त किये बिना पूषो नष्ट करने तथा जीएफएआर की पालना नहीं करने का प्रथमदृष्टया दोषी पाया है। विभाग ने उनि के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है तथा सम्बन्धित ब्राविपअ से स्पष्टीकरण मांगा है।

इस प्रकार पूषो के अनधिकृत व अनियमित नष्टीकरण तथा विभाग के समयबद्ध वितरण में विफल होने के फलस्वरूप न केवल ₹ 1.82 करोड़ की हानि हुई बल्कि लाभार्थी पोषाहार आगतों से वंचित रहे।

सामान्य

2.4.9 लेखापरीक्षा प्रेषणों का उत्तर देने का अभाव

लेखापरीक्षा, प्रबंधन की दक्षता, प्रभावकारिता एवं सुशासन में सहायक होती है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उचित सुधारात्मक कार्यवाही करने में सरकार की विफलता कमजोर शासन को इंगित करती है।

सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के नियम 327 (1) के अनुसार, विभिन्न लेखा अभिलेखों की प्रतिधारण अवधि लेखापरीक्षा के पश्चात् एक से तीन वर्ष तक होती है। विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुच्छेदों की अनुपालना निरीक्षण प्रतिवेदनों (निप्र) के निर्धारित प्रतिधारण अवधि में करने में विफल रहने से भविष्य में उनके निपटारे की संभावना, अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण क्षीण हो जाती है।

31 मार्च 2013 को, वर्ष 1991-92 से 2012-13 (सितम्बर 2012 तक) की अवधि के दौरान जारी 5,270 निप्र में सम्मिलित 17,705 अनुच्छेद निपटारा हेतु बकाया थे। वर्षवार बकायों की स्थिति निम्न है:

वर्ष	बकाया की संख्या	
	निप्र	अनुच्छेद
2006-07 तक	978	3,062
2007-08	471	1,513
2008-09	628	1,712
2009-10	828	2,483
2010-11	1,032	3,464
2011-12	949	3,533
2012-13 (सितम्बर 2012 तक)	384	1,914
योग	5,270	17,705


राज्य सरकार ने सभी विभागीय अधिकारियों को बकाया निप्र तथा अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे के लिए निप्र की प्रथम अनुपालना एक माह में तथा आगे के लेखापरीक्षा आक्षेपों के उत्तर एक पखवाड़े में भेजने के अनुदेश जारी किये थे (अगस्त 1969)। इन अनुदेशों की समय-समय पर पुनरावृत्ति की गई।

मार्च 2002 में जारी किये गये अनुदेशों में, लेखापरीक्षा से संबंधित समस्त मामलों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में विभागीय समिति एवं नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, परिकल्पित थी। नवीनतम अनुदेश जनवरी 2010 में जारी किये गये थे।

पेंशन विभाग (421 निप्र) एवं सहकारिता विभाग (47 निप्र) की विभिन्न ईकाइयों को जारी 468 निप्र के विश्लेषण में प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2013 को 1,380 अनुच्छेद बकाया थे। निप्र में आक्षेपित अनियमितताओं का श्रेणीवार ब्यौरा **परिशिष्ट 2.2** में दिया गया है। आगे यह दृष्टिगत हुआ कि 257 निप्र (पेंशन विभाग: 255 और सहकारिता विभाग: 02) की प्रथम अनुपालना 6 माह से 14 वर्षों से लम्बित थी।

वित्त विभाग ने लेखापरीक्षा समितियों की प्रत्येक वर्ष में चार बैठकें आयोजित करने के अनुदेश जारी किए थे (नवम्बर 2004) परन्तु वित्त विभाग के अनुदेशों की पूर्णतः पालना केवल 3 विभागों द्वारा की गई। वर्ष 2012-13 के दौरान 21 विभागों द्वारा लेखापरीक्षा समितियों की केवल 29 बैठकें आयोजित की गईं।

लेखापरीक्षा, सुशासन के लिए प्रबन्धन की सहायक है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उचित सुधारात्मक कार्यवाही करने में सरकार की अयफलता, अपर्याप्त अनुपालना तंत्र को इंगित करती है। सरकार को मामले पर गौर करना चाहिए एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखापरीक्षा प्रेषणों पर शीघ्र एवं उचित प्रतिक्रिया देने, चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान की वसूलियों को समयबद्ध तरीके से करने हेतु, प्रक्रिया स्थापित कर दी गई है।



(सुनील बाहरी)


प्रधान महालेखाकार

जयपुर,

दिनांक

(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली,

दिनांक